

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राज्य समुद्रीय विकास परिषद्

3. परिषद् की स्थापना ।
4. अध्यक्ष की शक्तियां ।
5. रिक्तियों आदि, से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।
6. परिषद् के कृत्य ।
7. परिषद् के कर्मचारी ।
8. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
9. परिषद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

अध्याय 3

पत्तन और पत्तन सीमाएं

10. प्रचालन का प्रारंभ ।
11. नए पत्तन और पत्तन की सीमाओं में परिवर्तन की अधिसूचना ।
12. राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना और परिषद् द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन ।

अध्याय 4

राज्य समुद्री बोर्ड

13. राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना ।
14. आस्तियों और दायित्वों, आदि का अंतरण ।
15. राज्य समुद्रीय बोर्ड के कृत्य ।

अध्याय 5

विवादों का न्यायनिर्णयन

16. विवादों का समाधान ।
17. सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होना ।

अध्याय 6

पत्तन अधिकारी

18. संरक्षक, बंदरगाह मास्टर और अन्य पत्तन अधिकारियों की नियुक्ति ।
19. संरक्षक की निदेश देने की शक्ति ।
20. पत्तन सीमाओं के भीतर अवरोधों का हटाया जाना ।
21. पत्तन सीमाओं के भीतर कार्यकलापों पर निर्बंधन विनिर्दिष्ट करने की शक्ति ।
22. लंगर स्थान को कलुषित करना ।

खंड

23. जलयानों पर चढ़ने और भवनों में प्रवेश करने की शक्ति ।
24. स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति और शक्तियां तथा संक्रामक रोगों का निवारण ।
25. पत्तन अधिकारी या पाइलट के कार्य या व्यतिक्रम के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति ।

अध्याय 7**पत्तनों की सुरक्षा और संरक्षण**

26. पत्तन संपत्ति को नुकसान ।
27. गून बांधना ।
28. अग्निशमन के लिए मास्टर द्वारा आदेश लेना ।
29. जलयानों आदि की सुरक्षा की बाबत अपराध ।
30. खोए हुए भंडारों की अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा खोज न करना ।
31. प्रतिषिद्ध पत्तन के किनारों या तटों को क्षतिग्रस्त करना ।
32. पाइलट के बिना या बंदरगाह मास्टर या पत्तन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जलयानों को चलाना ।
33. पत्तन अधिकारी द्वारा पत्तन की रक्षा के लिए चालें चलने में सहयोग देना ।
34. प्राधिकरण और महानिदेशक द्वारा कतिपय क्रियाकलापों का विनियमित किया जाना ।

अध्याय 8**प्रदूषण का निवारण, रोकथाम और प्रतिक्रिया**

35. परिभाषाएं ।
36. प्राप्ति प्रसुविधाएं ।
37. पर्याप्त प्राप्ति प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए निदेश ।
38. पत्तन अवशेष प्राप्ति और हस्तांतरण योजनाएं ।
39. अग्रिम अपशिष्ट नोटिस ।
40. जलयान सृजित अपशिष्ट की सुपुर्दगी ।
41. जलयान सृजित अपशिष्ट के लिए प्रभार ।
42. पत्तनों की संपरीक्षा ।
43. पोर्टल पर सूचना का अनुरक्षण ।
44. प्रदूषण निवारण या रोकथाम के लिए उपाय ।
45. अनुपालना करवाने के लिए निदेश ।

अध्याय 9**फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण**

46. फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ।
47. पत्तन टैरिफ ।
48. शुल्क या अन्य प्रभारों की प्राप्ति ।
49. स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर द्वारा पहुंच की रिपोर्ट देना ।
50. फीस या अन्य प्रभारों का संदाय करने पर परिरुद्ध और विक्रय से इंकार करना ।
51. पत्तन निकासी की मंजूरी ।
52. फीस या अन्य प्रभारों के संदाय का मास्टर द्वारा अपवंचन न करना ।

अध्याय 10**शास्तियां और प्रक्रिया**

53. अपराध और शास्तियां ।

खंड

54. शास्ति का अधिरोपण करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया ।
55. अपराधों का संज्ञान ।
56. विवाद समाधान समिति के आदेशों का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहने के लिए शास्ति ।
57. जानकारी, आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।
58. जुर्माने या शास्ति की वसूली ।
59. व्यय और नुकसानियों की वसूली ।
60. करस्थम् के खर्च ।
61. उद्गृहीत की जाने वाली रकम के विवाद की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा उसका अवधारण ।
62. विचारण का स्थान और अधिकारिता ।
63. कंपनियों द्वारा अपराध ।

अध्याय 11**प्रकीर्ण**

64. दस्तावेजों की तामील ।
65. पत्तन में विधि-विरुद्ध ध्वजा फहराना ।
66. आपात तैयारी और प्रत्युत्तर योजना ।
67. घटना की रिपोर्ट करना ।
68. नाविकों के लिए समुद्र तट आधारित कल्याणकारी सेवाएं ।
69. पत्तन समुदाय प्रणाली और जलयान यातायात सेवा ।
70. अनुपालना संरक्षित करने हेतु आदेश ।
71. पूर्व निकासी ।
72. अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन पत्तनों की बाध्यताएं ।
73. बड़े पत्तन की अधिसूचना ।
75. कतिपय विधियों का लागू होना ।
76. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
77. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
78. राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
79. परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति ।
80. परिषद् को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति ।
81. संसद् और राज्य विधान सभाओं के समक्ष नियम और विनियमों का रखा जाना ।
82. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
83. दूसरी अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।
84. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
85. निरसन और व्यावृत्ति ।

पहली अनुसूची

दूसरी अनुसूची

तीसरी अनुसूची

2025 का विधेयक संख्यांक 65

[दि इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025

पत्तन से संबंधित विधि का समेकन करने, पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम और संदूषण के लिए उपबंध करने, अंतरराष्ट्रीय लिखत, जिसका भारत पक्षकार है, के अधीन देश की बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने; पत्तन के संरक्षण के लिए उपाय करने, भारत में गैर-महापत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्रीय बोर्डों की स्थापना और सशक्त करने; पत्तन से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णायिक तंत्रों का उपबंध करने; पत्तन के क्षेत्र की संरचनात्मक वृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए समुद्रीय राज्य विकास परिषद् की स्थापना करने; भारत की तटरेखा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रतिनिर्देश है।

संक्षिप्त नाम
और विस्तार।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध,—

(क) (i) सभी पतनों पर लागू होंगे, जिन पर भारतीय पतन अधिनियम, 1908 के उपबंध, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से अव्यवहित पूर्व लागू होते थे ;

1908 का 15
5

(ii) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित सभी पतनों पर लागू होंगे ;

(iii) ऐसे पतनों की ओर जाने वाली नौ परिवहन नदियों और जलसरणियों के किसी भाग पर, जो समुचित सरकार ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विहित की जाए, अधिसूचित करे, लागू होंगे ;

10

(iv) पतन की सीमाओं के भीतर सभी जलयानों पर ; और

(v) पतन के किसी भाग का उपयोग करने वाले सभी वायुयानों पर, जब वे जलक्षेत्र में हैं, जैसे वे जलयान के संबंध में लागू होते हैं ; और

(ख) (i) ऐसे पतन या नौ परिवहन नदियों या जलसरणियों या जलयानों या उसके वर्ग, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू नहीं होंगे ;

15

(ii) सेना या सरकारी गैर वाणिज्यिक सेवा, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों, केन्द्रीय सशस्त्र बलों तथा पुलिस और ऐसे अन्य अभिकरणों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, से संबंधित या उनके लिए अनन्य रूप से सेवारत पतन के किसी भाग का उपयोग करने वाले जलयान या वायुयान पर ;

20

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उनके लिए सेवारत किसी जलयान पर ; या

(iv) किसी विदेशी युद्ध जलयान पर ।

25

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) महापतनों के संबंध में “समुचित सरकार” या “सरकार” से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है; और महापतनों से भिन्न पतनों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकारी” से,—

30

(i) महापतन के संबंध में—

(अ) महापतन प्राधिकरण बोर्ड ; या

(आ) यदि पतन, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ; और

2013 का 18

(ii) महापतनों से भिन्न पतनों के संबंध में, प्रत्येक राज्य का समुद्रीय बोर्ड अभिप्रेत है ;

35

(ग) “महापतन प्राधिकरण बोर्ड” से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक महापतन के लिए, महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

2021 का 1

(घ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

1976 का 80

5

(ङ) "तटीय सागरखंड" से राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अर्थ के भीतर भारत के समुद्रिक क्षेत्र से लगे हुए किसी भाग के साथ भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड का कोई भाग अभिप्रेत है ;

10

(च) "रियायतग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चाहे केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा जिसके अंतर्गत रियायत करार के माध्यम से भी है, पत्तन के भीतर सभी या किन्हीं क्रियाकलापों के संचालन के लिए, किसी भी नाम से ज्ञात कोई अधिकार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या प्राधिकार अनुदत्त किया गया है ;

15

(छ) "संरक्षक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक पत्तन अथवा दो या अधिक पत्तनों के लिए धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ज) "अभिसमय" से अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, जिसका भारत पक्षकार है, अभिप्रेत है ;

(झ) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित राज्य समुद्रीय विकास परिषद् अभिप्रेत है ;

20

(ञ) किसी जलयान के संबंध में "उपस्कर" के अंतर्गत नावें, नौकों उपकरण, मशीनरी, बायलर, स्थोरा, हथालन, गियर, पंप और कोई फिटिंग मस्तूल प्रोपेलर, परिधान फर्नीचर, प्रत्येक प्रकार के जीवन रक्षा साधित्र बल्लियां, मस्तूल, रिंगिंग और पाल, कोहरे के संकेत, बतियां, शेष तथा कष्ट संकेत, औषधियां तथा भेषज और शल्य चिकित्सा संबंधी भंडार, साधित्र, चार्ट, रेडियों संस्थापन, आग रोकने, पता लगाने या बुझाने के साधित्र, बाल्टियां, कंपास, कुल्हाड़ियां, लालटने, लदाई और उतराई के गियर तथा सभी प्रकार से साधित्र और सभी अन्य भंडार और पुर्जे या वस्तुएं भी हैं जो पोत की हों या पोत के नौपरिवहन और सुरक्षा, प्रदूषण रोकने के संबंध में उपयोगी या आवश्यक हों ;

25

1908 का 15

(ट) "विद्यमान पत्तन" से ऐसा प्रत्येक पत्तन अभिप्रेत है, जिसे भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व लागू होते थे ;

2023 का 46

30

(ठ) "मजिस्ट्रेट" से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ड) "महापत्तन" से ऐसा कोई पत्तन अभिप्रेत है, जिसका महापत्तन होना केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

35

(ढ) "मास्टर" से किसी पत्तन को उपयोग में लाने वाले किसी जलयान या वायुयान के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पायलट या पत्तन का बंदरगाह मास्टर अथवा संरक्षक नहीं है और तत्समय उस जलयान या वायुयान का भारसाधक है या उस पर नियंत्रण रखता है ;

40

(ण) "मेगा पत्तन" से धारा 73 के अधीन मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकृत महापत्तन या महापत्तन से भिन्न पत्तन अभिप्रेत है ;

(त) “मूरिंग” से ऐसी स्थिर या प्लवमान संरचना या युक्ति अभिप्रेत है, जिसका पतन को उपयोग में लाने वाले किसी जलयान या वायुयान को घाट पर लगाने और घाट से हटाने, जिसके अंतर्गत घट्टी स्थल के साथ स्थानांतरण भी है, के लिए उपयोग किया जाता है या जो पतन में या पतन तक पहुंचने के जलमार्ग में जलवाहित जलयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए अपेक्षित है;

5

(थ) “नया पतन” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित विद्यमान पतन से भिन्न कोई पतन अभिप्रेत है;

(द) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ध) “स्वामी” के अंतर्गत,—

10

(i) माल के संबंध में, ऐसे माल के विक्रय, अभिरक्षा, लदाई या उतराई के लिए कोई परेषक, परेषिती, माल भेजने वाला या अभिकर्ता; और

(ii) किसी पतन का उपयोग करने वाले किसी जलयान या वायुयान के संबंध में, उसका कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी, चार्टरर, परेषिती या कब्जाधारी बंधकदार, भी है;

15

(न) “नौचालक पायलट” से केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समय जलयान चलाने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) “पतन” के अंतर्गत कोई टर्मिनल, अपतट टर्मिनल, पोत याई, मरम्मत याई, भराई स्टेशन, आबद्ध जैटी या लंगरगाह या पतन सुविधा या एकल बोया मौरिंग, जो साधारणतया ईंधन भराई, ईंधन पुनः भराई, लदाई, उतराई, यात्रियों के तटबंधन या अतटबंधन, भांडागारण, जलयान के निर्माण या मरम्मत या लंगर डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या कोई अन्य स्थान जहां जलयान लाया जा सकता है; और नौ परिवहन नदी या जलसरणी का कोई भाग, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, सम्मिलित है, किंतु उसमें कोई पोत पुनःचक्रण क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होगा;

20

25

(फ) “पतन सुविधा” से केन्द्रीय सरकार या ऐसे अभिहित प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा यथा अवधारित कोई अवस्थान या क्षेत्र, जहां जलयान या जलयान और पतन के मध्य अंतरापृष्ठ कारित हो, अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत लंगर स्थान या प्रतीक्षा बर्थ या सागर दिशा से पहुंच मार्ग भी है;

30

(ब) “पतन सीमाएं” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित पतन के क्षेत्र की निश्चित सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(भ) “पतन अधिकारी” से धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए संरक्षक या बंदरगाह मास्टर या ऐसे अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं;

35

(म) “पतन सेवा प्रदाता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पतन के सभी या किन्हीं कार्यों को करता है;

(य) “पतन टैरिफ” से धारा 46 के अधीन उद्ग्रहणीय फीस या अन्य प्रभारों के लिए धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित दरों के मापमान अभिप्रेत हैं;

40

(यक) “पतन उपयोक्ता” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पतन की

सेवाओं, जिसके अंतर्गत पतन संकर्म भी हैं का उपभोग करता है;

(यख) “पतन संकर्म” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) (क) समुद्रीय संरचनाओं और अन्य भवनों, संरचनाओं, मशीनरियों, उपस्कर और संलग्नकों;

5

(ख) रेलवे, सड़कों, पुलों और तटबंधों की परिकल्पना, संनिर्माण, विस्तार, रखरखाव, हटाया जाना या भंजित करना;

(ii) समुद्र या नदी से भूमि को ठीक और झमाई करना;

(iii) पतन को जल, ईंधन या विद्युत की आपूर्ति करना;

(iv) पतन पर श्रमिक उपलब्ध कराना;

10

(v) शुष्क डॉक, क्रूज टर्मिनल और जल परिवहन टर्मिनल का संनिर्माण करना;

(vi) पतन अवसंरचना का संनिर्माण करना; और

(vii) कोई अन्य सेवाएं, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं;

15

(यग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार या राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(यघ) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(यड) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत हैं;

20

(यच) “सुरक्षा” से समुद्रीय सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जलयान के स्वामियों या प्रचालकों या भारसाधक व्यक्तियों या पतन सुविधा, अपतटीय संस्थापन और अन्य समुद्री संगठन या स्थापन के प्रबंधन द्वारा किए गए अथवा पतन या जलयान या समुद्रीय नौपरिवहन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति या चीज की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए,—

25

(i) आतंकवाद, अंतर्ध्वंस, छिपकर जहाज में यात्रा करने, अवैध उत्प्रवासियों, शरण चाहने वाले अपराधियों, जलदस्युता, सशस्त्र डकैती, अभिग्रहण या मूषण के विरुद्ध; और

30

(ii) किसी अन्य शत्रुतापूर्ण कार्य या प्रभाव के विरुद्ध, जिससे समुद्री परिवहन सेक्टर की सुरक्षा को खतरा होता है, कोई उपाय भी हैं ।

(यछ) “राज्य” से तटीय अवस्थिति वाला भारत का कोई राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(यज) “राज्य सरकार” संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

35

(यझ) “राज्य समुद्रीय बोर्ड” से धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य समुद्रीय बोर्ड अभिप्रेत है;

(यञ) “जलयान” के अंतर्गत समुद्री पर्यावरण में प्रयुक्त या प्रयुक्त होने के लिए समर्थ जहाज, जैसे कि पोत, नौका, चलत जलयान, मछली पकड़ने वाली नौका, जलयान, पनडुब्बी, अर्द्ध-पनडुब्बी, हाइड्रोफाइल्स, गैर-विस्थापन नाव, उभयचर नाव, विंग-इन-ग्राउंड नाव, क्रीड़ा करने की नाव, बजरा, लाइटर, चलत अपतटीय ड्रिल

40

इकाईयां, चलत अपतटीय इकाईयां या इसी प्रकार का कोई अन्य विवरण, भी है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इन अधिनियमों में हैं।

2021 का 1
1958 का 44

अध्याय 2

5

राज्य समुद्रीय विकास परिषद्

परिषद् की
स्थापना।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य समुद्रीय विकास परिषद् के नाम से ज्ञात, एक परिषद् की स्थापना करेगा।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य, पदेन सम्मिलित होंगे अर्थात् :—

(क) पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संघीय मंत्री अध्यक्ष होंगे;

10

(ख) प्रत्येक राज्य के पत्तन का भारसाधक मंत्री;

(ग) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का भारसाधक मंत्री और सभी अन्य तटीय संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक;

(घ) केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला तटीय सुरक्षा से व्यौहार करने वाला भारत सरकार की भारतीय नौसेना का सचिव या समतुल्य पंक्ति;

15

(ङ) केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला तटीय सुरक्षा से व्यौहार करने वाला भारत सरकार के भारतीय तटरक्षक का सचिव या समतुल्य पंक्ति;

20

(च) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव, जो परिषद् का सदस्य सचिव होगा।

(3) अध्यक्ष, परिषद् की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आमंत्रित कर सकेगा।

(4) परिषद्, अपनी बैठकों में ऐसी रीति में कारबार का संव्यवहार करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

25

(5) कोई सदस्य, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् के किसी सदस्य का पद, लाभ का पद नहीं समझा जाएगा।

30

अध्यक्ष की
शक्तियां।

4. अध्यक्ष को परिषद् के कार्यों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश की शक्ति होगी और परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपी जाएं।

रिक्तियों आदि, से
परिषद् की
कार्यवाहियों का
अविधिमान्य नहीं
होना।

5. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि,—

35

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण

को प्रभावित नहीं करती है ।

6. (1) परिषद्,—

परिषद् के
कृत्य ।

(क) सरकार को,—

5

(i) भारत में पतनों के लिए अधिक दक्ष और सहायक ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से विद्यमान विधिक ढांचे या कानूनी अनुपालन की पर्याप्तता ;

(ii) पतन क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने के लिए और पतनों के संचालन में प्रतिस्पर्धा और दक्षता की अभिवृद्धि के लिए उपायों ;

10

(iii) पतन संयोजकता और सड़क, रेल, अंतरदेशीय जल मार्ग परिवहन, पाईपलाइन और प्रवहणी के माध्यम से अन्य अवसंरचनाओं की अपेक्षाओं के निर्धारण ;

(iv) पतन से संबंधित किसी अन्य मामले, जो परिषद् विनिश्चित करे ; और

15

(v) ऐसे अन्य मामले, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा परिषद् को निर्दिष्ट किए जाएं,

पर सिफारिश करेगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

20

(i) धारा 12 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना की विनिर्मिति पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ii) निम्नलिखित के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना, अर्थात् :—

25

(अ) पतन द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े या सूचना और ऐसे आंकड़े या सूचना को एकत्रित, भंडारण, अद्यतन और प्रस्तुत करने की रीति ;

(आ) ऐसी रीति उपबंधित करने, जिसमें पतन से संबंधित कोई सूचना, अभिलेख, आंकड़े और अनुसंधान अध्ययन, प्रसारित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत उन पर जनसाधारण की पहुंच प्रदान करना भी है ;

30

(इ) पतन टैरिफ की पारदर्शिता सुनिश्चित करने ;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य भी हैं जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाए ।

35

(2) परिषद् अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता रखेगी और बहुरूपात्मकता, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, धारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के माध्यम से उपलब्ध तटरेखा, संभारतंत्र की समुचित लागत के अधिकतम प्रबंधन और उपयोग को हिसाब में रखेगी ।

(3) जब परिषद् का यह विचार है कि ऐसा करना उपधारा (1) के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए समीचीन है, वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी

सूचना जिसकी परिषद् अपेक्षा करे, लिखित में प्रस्तुत करते समय पतन प्राधिकारी या किसी व्यक्ति को बुला सकेगी।

परिषद् के
कर्मचारी।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो वह इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, उपलब्ध कराएगी।

5

(2) परिषद् के कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

केन्द्रीय सरकार
द्वारा अनुदान।

8. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक लेखानुदान के पश्चात्, परिषद् को ऐसी धनराशि, जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित है, अनुदत्त कर सकेगी।

10

परिषद् की
शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

9. परिषद्, साधारण या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, परिषद् के किसी सदस्य या कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति के सिवाय अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

15

अध्याय 3

पतन और पतन सीमाएं

प्रचालन का
प्रारंभ।

10. कोई पतन, प्रचालन प्रारंभ या कार्यान्वित नहीं करेगा, जब तक कि,—

(क) वह विद्यमान पतन; या

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित नया पतन, नहीं हो:

20

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित मामलों में किसी पतन या उसके भाग को गैर-प्रचालित घोषित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) यदि ऐसे पतन या उसका कोई भाग दस वर्षों की लगातार अवधि के लिए गैर-प्रचालित रहा है; या

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में; या

25

(iii) किसी अन्य कारण से, जो केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे।

नए पतन और
पतन की
सीमाओं में
परिवर्तन की
अधिसूचना।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, नए पतन को अधिसूचित कर सकेगी और किसी पतन की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी:

परंतु इस धारा के अधीन पतन की सीमाओं में परिवर्तन के लिए जारी की गई अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

30

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके उपधारा (1) के अधीन नए पतन घोषित करने के लिए और पतन की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए मानदंड, प्ररूप और रीति विहित करेगी।

राष्ट्रीय परिपेक्ष
योजना और
परिषद् द्वारा
जारी किए गए
मार्गदर्शक
सिद्धांतों का
पालन।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, समुद्री व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा करने और सहबद्ध अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना बना सकेगी।

35

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना और परिषद् द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करेगी।

अध्याय 4

राज्य समुद्री बोर्ड

13. (1) अधिनियम के अधीन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक राज्य समुद्री बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यक् रूप से स्थापित या गठित किया गया समझा जाएगा :

राज्य समुद्री
बोर्ड की
स्थापना ।

परंतु जहां राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना या गठन नहीं किया गया है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना कर सकेगी :

परंतु यह और कि जहां राज्य समुद्री बोर्ड के कृत्यों का राज्य सरकार के किसी व्यक्तियों के निकाय या विभाग द्वारा निर्वहन किया जाता है, सरकार ऐसे व्यक्तियों के निकाय या विभाग को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य समुद्री बोर्ड के रूप में अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य समुद्री बोर्ड, जंगम और स्थावर, दोनों संपत्तियों के अर्जन की, धारण और निपटान करने की और संविदा करने की शक्ति के साथ, एक सुभिन्न विधिक इकाई होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जो उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) राज्य समुद्री बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

14. (1) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की तारीख से या उसकी अधिसूचना की तारीख से अन्य चीजों के साथ,—

आस्तियों और
दायित्वों, आदि
का अंतरण ।

(क) समस्त पत्तन भूमि, संपत्ति, आस्तियां, निधियां, संपत्ति में हित और राज्य सरकार में निहित दरों के उद्ग्रहण के सभी अधिकार, राज्य सरकार में निहित दरों के उद्ग्रहण के सभी अधिकार;

(ख) सभी दरें, फीस, किराया और राज्य सरकार को शोध्य अन्य धनराशियां; और

(ग) पत्तन के कार्यों के लिए उस दिन से पूर्व केवल या मुख्य रूप से अथवा उससे संसक्त राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी,

राज्य समुद्री बोर्ड में निहित और स्थानांतरित करेगी ।

(2) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की तारीख या उसकी अधिसूचना की तारीख तक राज्य सरकार के लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उसके साथ की गई संविदाएं और उसके लिए या उसके साथ किए जाने के लिए नियोजित सभी मामले तथा चीजें, राज्य समुद्री बोर्ड के लिए उपगत, उसके लिए या उसके द्वारा की गई समझी जाएगी और राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की तारीख या उसकी अधिसूचना की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी वाद या अन्य विधिक कार्रवाइयां जारी रहेंगी या राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई समझी जाएगी ।

15. (1) प्रत्येक राज्य समुद्री बोर्ड के, संबंधित राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर महापतनों से भिन्न पतनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा और उक्त प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

राज्य समुद्री
बोर्ड के कृत्य ।

(क) पतनों के विकास के लिए योजनाएं प्रारंभ करना ;

(ख) पतनों के उपयोग में अभिवृद्धि, उसका विकास और सुधार करना ;

(ग) पतनों की सीमाओं के भीतर या उसके बाहर ऐसे कार्य का निष्पादन करना और पतनों को ऐसे साधित्र उपलब्ध कराना, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक या समीचीन समझे जाए ;

(घ) पतनों की अवसंरचना और सेवाओं की बाबत अनुज्ञप्ति के कृत्यों का निर्वहन करना ; 5'

(ङ) सभी पतन संकर्मों का अधीक्षण और नियंत्रण करना, जिसके अंतर्गत तृतीय पक्षकार को संविदाजात पतन कार्य भी है ;

(च) सीमाओं के भीतर नौ परिवहन को विनियमित और नियंत्रित करना तथा पतनों तक पहुंचना ; 10'

(छ) पतन का टैरिफ नियत करना ;

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षा अनुमति प्राप्त होने के अध्यधीन रहते हुए नए पतनों का विकास करना ;

(झ) पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण करना और सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों की रक्षा करना ; 15'

(ञ) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सलाह देना या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना

(ट) ऐसी अन्य सेवाओं और सुविधाओं के उपबंधों का उपबंध करना या सुनिश्चित करना, जो पतनों के दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं ;

(ठ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना ; 20'

(ड) ऐसे सभी अन्य कृत्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

(2) राज्य समुद्री बोर्ड, अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा । 25'

(3) राज्य समुद्री बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए लिखित में किसी पतन या पतन अधिकारी को लिखित में सूचना देगा, जो वह आवश्यक समझे और ऐसा पतन या पतन का अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय 5

30'

विवादों का न्यायनिर्णयन

विवादों का समाधान ।

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्यों के भीतर महापतनों से भिन्न पतनों, रियायतग्राहियों, पतन उपयोक्ताओं और पतन सेवा प्रदाताओं, के मध्य उद्भूत होने वाले किन्हीं विवादों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए उसके तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी विवाद समाधान समिति का गठन करेगी, जब तक कि पक्षकार रियायत करार, अनुज्ञप्ति, या प्राधिकार के भागरूप माध्यस्थम या किसी अन्य विवाद समाधान तंत्र के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं ।

35'

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन राज्य समुद्री बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार और

राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा विहित की जाए तथा राज्य समुद्री बोर्ड उस आवेदन को विवाद समाधान समिति को निर्दिष्ट करेगा।

(3) विवाद समाधान समिति, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उसके द्वारा आवेदन प्राप्त की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक लिखित आदेश पारित करेगी:

परंतु जहां विवाद समाधान समिति ऐसे विवाद का छह मास की नियत अवधि के भीतर निपटारा करने में असमर्थ रहती है, वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं निपटान की अवधि को एक समय में तीन मास के लिए बढ़ा सकेगी, लेकिन ऐसी अवधि, जिसके अंतर्गत बढ़ी हुई अवधि भी है, किसी भी दशा में बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(4) विवाद समाधान समिति को उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामलों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वादों का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :—

(क) लेखा बहियां और दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ख) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ग) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) उपधारा (3) के अधीन विवाद समाधान समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्ष, समुचित अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिसको पक्ष द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त की जाती है, अपील कर सकेगा।

17. किसी सिविल न्यायालय को किसी मामले के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका उदाहरण करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विवाद समाधान समिति सशक्त है।

सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होना।

अध्याय 6

पत्तन अधिकारी

18. (1) सरकार प्रत्येक पत्तन या दो या अधिक पत्तनों के लिए संरक्षक के रूप में अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय की नियुक्ति करेगी।

संरक्षक, बंदरगाह मास्टर और अन्य पत्तन अधिकारियों की नियुक्ति।

(2) प्रत्येक पत्तन, बंदरगाह मास्टर या पत्तन के उतने अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) संरक्षक सरकार या प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन होगा।

(5) पत्तन में प्रचालन कर रहे सभी अधिकारी, संरक्षक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(6) संरक्षक, सरकार के अनुमोदन से, अपनी ऐसी शक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं।

संरक्षक की निदेश देने की शक्ति ।

19. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संरक्षक पतन के भीतर किसी यान की बाबत ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना संरक्षक निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी जलयान की बर्थिंग, मूरिंग या लंगर डालना, जिसके अंतर्गत लंगर डालने की विधि भी सम्मिलित है ;

(ख) पतन में से किसी स्थान से किसी अन्य स्थान पर जलयान को हटाना और वह समय, जिसके भीतर हटाया जाएगा ;

(ग) पतन और पतन के मार्गों में जलयानों के संचलन का विनियमन, निर्बंधन या प्रतिषेध ;

(घ) किसी जलयान के मास्टर से अग्नि निवारण या शमन के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य मामले के लिए उसके नियंत्रण में उतने कर्मिंदल को रखना, जो वह ठीक समझे ;

(ङ) पतन में किसी जलयान को प्रविष्ट होने या बाहर जाने का वहां प्रतिषेध, जहां ऐसा जलयान इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(च) पतन में किसी जलयान की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए किसी ताने या रस्सी को काटना या काटना कारित करना ।

(3) यदि कोई व्यक्ति संरक्षक के इस धारा के अधीन किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या अनदेखी करता है तो संरक्षक निदेशों के निष्पादन के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा या करना कारित करवाएगा और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को भाड़े पर रखेगा तथा इस निमित्त उपगत सभी व्यय ऐसे इंकार या अनदेखी करने वाले व्यक्ति से वसूले जाएंगे ।

पतन सीमाओं के भीतर अवरोधों का हटाया जाना ।

20. (1) संरक्षक स्वयं या किसी बाह्य अभिकरण या पतन अधिकारी के माध्यम से पतन के किसी भाग में किसी अवरोध को हटा सकेगा या हटाना कारित कर सकेगा, जो उसकी राय में पतन या उसके किसी भाग के या पतन सीमाओं के भीतर तट या किनारे के किसी भाग में प्रचालन में अवरोध उत्पन्न करता है ।

(2) किसी ऐसी बाधा का स्वामी उस बाधा को हटाने के लिए युक्तियुक्त व्ययों का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) यदि किसी ऐसी बाधा का स्वामी उस बाधा को हटाने में युक्तियुक्त व्ययों का संदाय करने में असफल रहता है तो संरक्षक जलयान, मलबे, सामग्री या किसी अन्य वस्तु, जो ऐसी बाधा को उत्पन्न करती है, को सार्वजनिक नीलामी में विक्रय कर सकेगा और विक्रय के आगमों से ऐसे हटाए जाने पर उपगत व्ययों को वसूल कर सकेगा और ऐसे आगमों के आधिक्य का संदाय करेगा या अवरोध के विक्रय न किए गए हिस्सों को उन्हें प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को परिदत्त करेगा तथा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो संरक्षक उन्हें ऐसी रीति में रखना और जमा करना कारित करेगा, जैसा सरकार निदेश दे ।

(4) संरक्षक यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर अवरोध रखने के लिए व्ययों को विक्रय पर व्यय के साथ अवरोध के ऐसे और भाग के, जो विक्रय से शेष रह जाए

और विक्रय के साथ वसूल कर सकेगा ।

- 5 (5) यदि अवरोध किसी सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा, अनुदान, अनुज्ञप्ति या अन्य विधिपूर्ण लिखत के मददे विद्यमान है तो संरक्षक उसकी सरकार को रिपोर्ट करेगा और सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ऐसे अवरोध के स्वामी को युक्तियुक्त प्रतिकर, जो 5 ऐसे कारकों पर, जो सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अवधारित किया गया हो, उसको हटाना या उसमें ऐसी रीति में फेरफार करना कारित करेगा ।

10 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अवरोध” पद के अंतर्गत कोई ढांचा या कोई जलयान या मलबा या उसका कोई भाग या स्थोरा जैसी कोई सामग्री, बंकर या प्रदूषक या ऐसी अन्य वस्तु या कोई सार्वजनिक बाधा सम्मिलित है, जो पतन के प्रचालन में रुकावट डालती है या रुकावट डालने की संभावना है ।

21. सरकार अधिसूचना द्वारा पतन सीमाओं के भीतर कतिपय कार्यकलापों पर, जो पतन में नौवहन पर कोई रुकावट कारित कर सकते हैं, निर्बंधन विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

पतन सीमाओं के भीतर कार्यकलापों पर निर्बंधन विनिर्दिष्ट करने की शक्ति ।

- 15 22. (1) यदि कोई जलयान किसी ऐसे पतन में संरक्षक द्वारा डाले गए किन्हीं बोंयों या मूरिंगों में अटक जाता है या उनसे भिड़ जाता है, तो ऐसे जलयान का मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति, आपात की दशा में के सिवाय, उसे हुक से छुड़ाने या मुक्त करने के प्रयोजन से उस बोया या लंगर को संरक्षक की सहायता के बिना नहीं उठाएगा ।

लंगर स्थान को कलुषित करना ।

- 20 (2) संरक्षक उपधारा (1) के अधीन किसी आपात की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही, ऐसे जलयान की निकासी में सहायता प्रदान करेगा और उसका अधीक्षण करेगा तथा ऐसे जलयान का मास्टर, मांग किए जाने पर, ऐसे युक्तियुक्त व्ययों का संदाय करेगा, जो उसकी निकासी में उपगत हों ।

- 25 23. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी जलयान से संबंधित फीसों और प्रभारों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संरक्षक या कोई व्यक्ति, जब भी उसको इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक हो, तब वह या अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, इस अधिनियम के अधीन किसी पतन की सीमाओं के भीतर किसी जलयान पर चढ़ सकेगा, या किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा ।

जलयानों पर चढ़ने और भवनों में प्रवेश करने की शक्ति ।

- 30 (2) जलयान का मास्टर, या भवन या स्थान का कब्जाधारी या अधिभोगी कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, संरक्षक या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसे जलयान, भवन या स्थान पर चढ़ने या उसमें प्रवेश करने से इंकार नहीं करेगा ।

- 35 24. (1) सरकार, किसी पर पतन स्वास्थ्य अधिकारी के कृत्यों को करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में किसी पैनलबद्ध चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति कर सकेगी ।

स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति और शक्तियां तथा संक्रामक रोगों का निवारण ।

- (2) स्वास्थ्य अधिकारी की ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा और वह सेवा के ऐसे अन्य निर्बंधन और शर्तों के अधीन होगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) स्वास्थ्य अधिकारी को, सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उस पतन की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी जलयान के भीतर रसद, जल, स्वच्छता और आवास का

निरीक्षण करने ;

(ख) किसी जलयान में प्रवेश करने या चढ़ने और जलयान के फलक पर सभी या किन्हीं नाविकों की चिकित्सीय परीक्षा करने की शक्ति ;

(ग) लॉग बुक और किन्हीं ऐसी अन्य बहियों, कागजपत्रों या दस्तावेजों को, जिन्हें वह जलयान पर सवार व्यक्तियों के स्वास्थ्य और चिकित्सीय दशा की जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, की अपेक्षा करने की और उनकी प्रस्तुत कराने की शक्ति ;

(घ) किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने और प्रश्न पूछने तथा व्यक्ति जिससे प्रश्न पूछा गया है, से उत्तर की अपेक्षा करना तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथनों की सत्यता को पुष्ट करनेवाली घोषणा करना और उस पर हस्ताक्षर करना ।

(4) जब किसी पतन या पतन के भाग में कोई संचारी या संक्रामक रोग फैल जाता है या फैलने की आशंका है, तो सरकार—

(क) ऐसे भाग या उसके किसी भाग को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर सकेगी और किसी संक्रमित क्षेत्र से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों से स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिकित्सीय निरीक्षण करवाने या जांच करवाने की अपेक्षा कर सकेगी ; और

(ख) ऐसे संक्रमित क्षेत्र में किए जाने वाले उपायों को विहित करेगी ।

(5) जब किसी पतन पर आने वाले जलयान या पतन के किसी भाग में किसी जलयान में कोई संचारी या संक्रामक रोग फैल जाता है या फैलने की युक्तियुक्त संभावना है,—

(क) संरक्षक किसी संचारी या संक्रामक रोग के निवारण या उसके फैलने की रोकथाम करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा और ऐसे व्यक्तियों को ऐसे निदेश देगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित किए जाएं ;

(ख) मास्टर ऐसे किसी रोग की विशिष्टियों की सरकार या संरक्षक को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, रिपोर्ट करेगा ।

(6) स्वास्थ्य अधिकारी, सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के साथ जलयान और जलयान के फलक पर व्यक्तियों के चिकित्सीय निरीक्षण के लिए जलयान पर चढ़ सकेगा ।

पतन अधिकारी या पाइलट के कार्य या व्यतिक्रम के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति ।

25. सरकार किसी संरक्षक, बंदरगाह मास्टर या अन्य पतन अधिकारियों या पूर्वोक्त प्राधिकारियों में से किसी के उप या सहायक या ऐसे किसी प्राधिकारी, उप या सहायक के नियन्त्रण या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या किसी विमान चालक के किसी कृत्य या व्यतिक्रम या किसी जलयान को मूरिंग, हाजरों या सरकार से संबंधित अन्य वस्तुओं, जिनका जलयान द्वारा उपयोग किया जा सकता है, में किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप हुए किसी नुकसान के लिए दायी नहीं होगी ;

परंतु इस धारा की कोई बात सरकार के अभिव्यक्त आदेश या मंजूरी से या उसके अधीन किए गए किसी कार्य की बाबत वाद से संरक्षण नहीं देगी ।

अध्याय 7

पतनों की सुरक्षा और संरक्षण

26. (1) कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण कारण के किसी संपत्ति को नहीं हटाएगा, नष्ट नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके अंतर्गत पोत से संबंधित या उसकी अभिरक्षा या कब्जे में कोई पोतघाट या जैटी या हिंडर है, या ऐसी संपत्ति को उपयोग करने या उस रीति में प्रचालित करने में बाधा डालना या निवारित करना भी सम्मिलित है, जैसा कि वह उपयोग किए जाने या प्रचालित किए जाने के लिए आशयित है ।
- पतन संपत्ति को नुकसान ।
- (2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है वह दूसरी अनुसूची के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य शास्त्र के अतिरिक्त ऐसे व्ययों का भुगतान करने का दायी होगा जो संरक्षक ऐसे कारकों के आधार पर न्यायोचित और युक्तियुक्त होने के लिए अवधारित करे जो समुचित सरकार मामलों की परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यय के अतिरिक्त किए गए किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के व्यय सहित पतन को हुई किसी हानि, किसी ध्वंस या नुकसान के लिए संदाय करने के लिए दायी होगा ।
27. किसी पतन में जलयान का प्रत्येक मास्टर, जब उससे संरक्षक द्वारा निदेश दिया जाए तब, पतन में किसी अन्य जलयान को खींचने के प्रयोजन के लिए जलयान में गून या हाजर बांधने की अनुज्ञा देगा तथा ऐसे गून या हाजर को तब तक छोड़ने को अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक ऐसा करने का निदेश न दिया जाए ।
- गून बांधना ।
28. किसी पतन में होने वाले जलयान का प्रत्येक मास्टर जलयान पर किसी अग्निशमन के लिए आदेश लेगा और संरक्षक या संरक्षक के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के साथ जलयान पर किसी अग्नि का शमन करने या शमन करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के साथ सहयोग करेगा ।
- अग्निशमन के लिए मास्टर द्वारा आदेश लेना ।
29. (1) कोई व्यक्ति जानबूझकर और बिना किसी विधिपूर्ण कारण के,—
- 2.5 (क) उसकी मूरिंग या उसको बांधने वाले स्थान से ऐसे जलयान के मास्टर या स्वामी की इजाजत या प्राधिकार के बिना पतन में किसी जलयान को ढीला नहीं करेगा या नहीं हटाएगा ; या
- जलयानों आदि की सुरक्षा की बाबत अपराध ।
- 30 (ख) किसी जलयान को उसकी मूरिंग, बोय, बिकन या समुद्र या चिह्न से उठाएगा, उठाएगा नहीं, क्षति नहीं पहुंचाएगा, बांधेगा नहीं, ढीला नहीं करेगा या छोड़ेगा नहीं ; या
- (ग) पतन पर किसी अग्न्यायुद्ध को नहीं चलाएगा ; या
- (घ) पतन में किसी जलयान के फलक पर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा या करने का लोप नहीं करेगा, जो अग्नि कारित करता है या जिससे अग्नि कारित करने की संभावना है ; या
- 35 (ङ) किसी पतन पर जलयान का उपयोग नहीं करेगा, जो ऐसी स्थिति में है, जिसके पतवार, उपस्कर या मशीनरी के त्रुटिपूर्ण स्थिति में होने के कारण या जिसको चलाने के लिए कम व्यक्ति होने या अन्यथा के कारण किसी व्यक्ति का जीवन या पतन में नौवहन करने वाले किसी अन्य जलयान की सुरक्षा को खतरे में डालता हो ।
- 40 (2) किसी जलयान का कोई मास्टर उसके जलयान से संलग्न किसी गून या

हाजर को किसी पतन पर ऐसी रीति में नहीं छोड़ेगा, जिससे पतन में नौवहन करने वाले किसी अन्य जलयान की सुरक्षा को खतरे में डाले ।

(3) कोई व्यक्ति पतन में किसी जलयान के पेंदे को साफ करके उस पर कोलतार नहीं पोतेगा, उसे साफ नहीं करेगा या धूमित नहीं करेगा या पतन सीमाओं के भीतर किसी जलयान के फलक पर किसी निराल, अलकतेरा, राल, डामर, तारपीन तेल या अन्य ऐसे दाह्या पदार्थ उबालेगा या गर्म करेगा यदि ऐसे कृत्य को सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है या संरक्षक के आदेशों या निदेशों के प्रतिकूल है । 5

30. कोई व्यक्ति, संरक्षक की अनुज्ञा के बिना किसी पतन में खोए हुए या खोए समझे गए लंगरों, केबलों या अन्य भंडारों की तलाश नहीं करेगा ।

31. कोई भी व्यक्ति संरक्षक की अनुज्ञा के बिना और ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण, जो संरक्षक द्वारा नियुक्त किया जाए, किसी पतन में,— 10

(क) विद्यमान जलतल या भूगोलीय ढांचे या किसी कृत्रिम संरक्षण या संनिर्माण या पतन के तट को विक्षुब्ध नहीं ; या

(ख) ऐसे किनारे या तट के किसी भाग में, चाहे वह सार्वजनिक या निजी संपत्ति हो, किसी मूरिंग पोस्ट, लंगर या किसी अन्य वस्तु को डूबाएगा या गाढ़ेगा नहीं ; 15

(ग) कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे ऐसे किनारे या तट को क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो ।

32. (1) कोई जलयान पायलट, बंदरगाह मास्टर या किसी पतन अधिकारी को फलक पर लिए बिना किसी ऐसे पतन में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, उसे नहीं छोड़ेगा या नहीं चलाएगा, जब तक कि,— 20

(क) समुचित अधिकारी को आवेदन करने पर मास्टर किसी पाइलट, बंदरगाह मास्टर या पतन अधिकारी को फलक पर लाने में समर्थ नहीं हुआ था ;

(ख) संरक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से लिखित में ऐसा प्राधिकार अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है : 25

परंतु सरकार अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कोई पतन जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए किसी पतन में उतने से अनधिक परिमाण के जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए, चलत जलयानों को इस उपधारा के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जलयान का वह स्वामी या मास्टर, जलयान द्वारा या जलयान नौवहन की किसी त्रुटि से कारित किसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा । 30

33. कोई पतन अधिकारी, यदि केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, युद्धकाल में पतन की रक्षा से संबंधित चालें चलने में या उप-परंपरागत या गैर परंपरागत सकटों या प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध पतन की सुरक्षा के लिए, अधिकारी द्वारा यथानिदेशित सहयोग करेगा और यदि आवश्यक हो, अपने कर्मचारिवृन्द, जलयानों, संपत्ति, उपस्कर या अन्य संसाधनों को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराएगा : 35

परंतु यह कि ऐसे अधिकारी के निपटान पर रखे जाने वाले जलयानों को चलाने का व्यय उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह उसके निपटान पर रखे जाते हैं के

खोए हुए भंडारों की अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा खोज न करना ।

प्रतिषिद्ध पतन के किनारों या तटों को क्षतिग्रस्त करना ।

पाइलट के बिना या बंदरगाह मास्टर या पतन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जलयानों को चलाना ।

पतन अधिकारी द्वारा पतन की रक्षा के लिए चालें चलने में सहयोग देना ।

व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी, और उनकी किसी क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगी ।

5 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “चालू व्यय” पद में जलयानों को किराए पर लेने के किन्हीं प्रभारों से भिन्न उनके उपयोग की बाबत उपगत सब लागत या ऐसे जलयानों के अधिकारियों और कर्मियों की मजदूरियों के लिए उपगत सभी लागत सम्मिलित है ।

34. (1) प्राधिकरण, निम्नलिखित विषयों और क्रियाकलापों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगा, अर्थात्:—

प्राधिकरण और
महानिदेशक
द्वारा कतिपय
क्रियाकलापों का
विनियमित
किया जाना ।

10 (क) जलयान संचालन और नौसंचालन की सुरक्षा, जिसमें पतन सीमाओं के भीतर जलयान के प्रवेश, प्रस्थान और अभिवहन के लिए समयसारणियों और प्रक्रियात्मक प्रोटोकाल का अवधारण भी हैं ;

(ख) बर्थों का समनुदेशन जिसमें पतन में विनिर्दिष्ट बर्थों, स्टेशनों और जलयान के आने के लिए क्षेत्र को पदाभिहित करना भी सम्मिलित है ;

15 (ग) लंगर और उपस्कर प्रबंधन, सही नौभरण और कार्गो गियर, लंगरों और जलयानों पर अन्य बाह्य उपकरणों को रखना ;

(घ) कार्गो तथा यात्री प्रचालन जिसमें यात्री आरोहण तथा कार्गो की लदाई और उतराई के लिए अवस्थानों तथा पद्धतियों को नियमित करना भी सम्मिलित है ;

20 (ङ) जलयान में ईंधन भरने संबंधी संक्रियाओं के लिए बंकर लगाने संबंधी पद्धतियों तथा उपस्कर के लिए मानक ;

(च) ऐसे पदाभिहित सुरक्षित मार्ग क्षेत्रों को, जिन्हें डांकिंग संरचनाओं के निकट और पतन सीमाओं के भीतर अनुरक्षित किया जाता है, को सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध मार्ग के लिए उपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करना ;

25 (छ) जलयानों और संबद्ध उपस्करों की मूरिंग तथा लंगर डालने के लिए मानक और प्रक्रिया ;

(ज) सरकार के स्वामित्वाधीन डांकिंग और भंडारण सुविधाओं के लिए पहुंच तथा प्रयोग प्रोटोकाल को विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) विभिन्न समुद्री परिवहन जलयानों की अनुज्ञप्ति देने संबंधी मानक और प्रक्रियाएँ तथा अनुज्ञप्ति नवीकरण या प्रतिसंहरण की शर्तें ;

30 (ञ) जलयानों तथा पतनों द्वारा दृश्यमान तथा संकेत सहायता के संगत तथा सुरक्षित उपयोग के लिए प्रोटोकालों को विनिर्दिष्ट करना ;

(ट) डाक कर्मचारों, समुद्री यात्रियों तथा पतन आगुन्तकों का उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी मानक ;

35 (ठ) समुद्री यात्री तथा पतन कर्मकार कल्याण संबंधी संसाधनों और क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकाल ;

(2) महानिदेशक उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों तथा क्रियाकलापों में से किसी मामले और क्रियाकलाप संबंधी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त भी जारी कर सकेगा जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं ।

40 (3) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप

होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “महानिदेशक” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है ।

1958 का 44

अध्याय 8

प्रदूषण का निवारण, रोकथाम और प्रतिक्रिया

5

परिभाषाएं ।

35. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “स्थिरक भार जल प्रबंधन अभिसमय” से पोतों के स्थिरक भार जल और तलछट का नियंत्रण और प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2004 अभिप्रेत है ;

(ख) “स्थोरा अवशेष” से किसी भी स्थोरा अवशेष से फलक पर किसी स्थोरा सामग्री के अवशेष अभिप्रेत है, जो डेक पर या होल्ड या टैंकों में लदाई और उतराई के पश्चात् शेष रह जाते हैं, जिसके अंतर्गत लदाई या उतराई आधिक्य या छलकाव सम्मिलित है, चाहे नम या शुष्क स्थिति में हो या धावन जल में हो, किंतु इसके अंतर्गत सफाई के पश्चात् डेक पर शेष स्थोरा धूल या जलयान की बाहरी सतहों पर धूल सम्मिलित नहीं है ;

10

(ग) “मारपोल अभिसमय” से पोतों से प्रदूषण निवारण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 जिसमें उसके वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल भी है अभिप्रेत हैं ;

(घ) “ग्रहण प्रसुविधा” से कोई ऐसी प्रसुविधा अभिप्रेत है, जो स्थिर, प्लवमान या सचल है और जो जलयानों से अपशिष्ट प्राप्त करने की सेवा का उपबंध करने में सक्षम है ;

20

(ड) “जलयानों से अपशिष्ट” या “जलयान सृजित अपशिष्ट” से स्थोरा अवशेष अभिप्रेत है, जिसमें किसी जलयान की सेवा के दौरान या लदाई, उतराई और सफाई प्रचालनों के दौरान सृजित होना है, प्रत्येक अपशिष्ट, जो मारपोल अभिसमय और स्थिरक भार जल प्रबंधन अभिसमय के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 की परिधि के भीतर आता है ।

25

प्राप्ति

प्रसुविधाएं ।

36. प्रत्येक पतन जलयानों को असम्यक् विलंब कारित किए बिना जलयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मारपोल अभिसमय के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 या गिट्टी जल प्रबंधन अभिसमय के अनुच्छेद 5 में विनिर्दिष्ट प्राप्ति प्रसुविधाएं के उपबंधों का अनुपालन करते हुए यथालागू ऐसी शर्तों के आधार पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाएं, प्राप्ति प्रसुविधाएं का उपबंध करेगा ।

30

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “पर्याप्त” पद से उस पतन का उपयोग करने वालों की प्रचालन आवश्यकताओं, उसके आकार और भौगोलिक अवस्थिति तथा उस पतन में आने वाले जलयानों की किस्मों को गणना में लेते हुए, सामान्यतः उस पतन का उपयोग करने वाले जलयानों से अवशिष्ट की किस्म और मात्राओं को प्राप्त करने में सक्षमता अभिप्रेत है ।

35

पर्याप्त प्राप्ति प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए निदेश ।

37. जहां किसी पतन की बाबत धारा 42 के अधीन या अन्यथा संचालित संपरीक्षा के आधार पर केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पतन में कोई प्राप्ति प्रसुविधाएं नहीं हैं या यदि पतन में ऐसी प्रसुविधाएं हैं, वे प्रसुविधाएं धारा 36 के अर्थातर्गत पर्याप्त नहीं हैं तो केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

40

लिखित आदेश द्वारा पतन को ऐसी प्राप्ति प्रसुविधाएं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, का उपबंध करने या उनका इंतजाम करने के लिए निदेश दे सकेगा।

38. (1) प्रत्येक पतन ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, पतन अवशिष्ट प्राप्ति और हस्तालन योजना तैयार करेगा।

पतन अवशेष
प्राप्ति और
हस्तालन
योजनाएं।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा पतन अवशिष्ट प्राप्ति और हस्तालन योजना का अनुमोदन करने पर पतन द्वारा ऐसी योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पतन, पतन अवशिष्ट प्राप्ति और हस्तालन योजना के विषय में जलयानों को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए।

39. भारत में आने वाले जलयान का प्रचालक, अभिकर्ता या मास्टर पड़ाव पतन को अग्रिम अपशिष्ट नोटिस ऐसे प्ररूप और ऐसी समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए।

अग्रिम अपशिष्ट
नोटिस।

40. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, किसी पतन पर पड़ाव डालने वाले जलयान का मास्टर पतन को छोड़ने से पूर्व फलक पर ले जाए जाने वाले संपूर्ण जलयान सृजित अपशिष्ट की किसी प्राप्ति प्रसुविधा में सुपुर्दगी करेगा।

जलयान सृजित
अपशिष्ट की
सुपुर्दगी।

(2) सुपुर्दगी पर, पतन जहां अपशिष्ट को सुपुर्द किया गया था, जलयान के मास्टर को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, अपशिष्ट सुपुर्दगी की रसीद जारी करेगा।

41. (1) ग्रहण प्रसुविधाओं का उपबंध करने वाला पतन या पतन के साथ ठहराव द्वारा ऐसी प्रसुविधाओं का उपबंध करने वाला व्यक्ति प्रसुविधाओं का उपयोग करने के लिए ऐसे प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगा।

जलयान सृजित
अपशिष्ट के
लिए प्रभार।

(2) पतन में उपबंधित की जाने वाली ग्रहण प्रसुविधा को किसी जलयान द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो पतन द्वारा अधिरोपित की जाए, तथा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों के संदाय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

42. (1) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक पतन का ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, संपरीक्षा करेगी।

पतनों की
संपरीक्षा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रहण प्रसुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच करने के प्रयोजनों के लिए की जाएगी और इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषण रोकथाम संयंत्र की संपरीक्षा भी सम्मिलित होगी, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

43. निम्नलिखित सूचना को इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, अपलोड किया जाएगा, अर्थात् :—

पोर्टल पर
सूचना का
अनुरक्षण।

(क) धारा 39 के अधीन अग्रिम अवशिष्ट नोटिस;

(ख) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपशिष्ट सुपुर्दगी रसीद;

(ग) किसी जलयान द्वारा ग्रहण प्रसुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनुरोध;

और

(घ) ऐसे अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

प्रदूषण निवारण
या रोकथाम के
लिए उपाय ।

44. (1) प्रत्येक पत्तन किसी घटना की विशिष्टियों की, जो तटीय जल या संबंधित हितों को प्रदूषण की चुनौती प्रस्तुत करते हैं या जिनसे प्रदूषण की चुनौती प्रस्तुत होने की संभावना है, सरकार को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, रिपोर्ट करेगा ।

(2) जब केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई घटना, जो तटीय जल या संबंधित हितों को प्रदूषण की चुनौती प्रस्तुत करती है या जिससे प्रदूषण की चुनौती प्रस्तुत होने की संभावना है, हो गई है या होने की संभावना है, वह, यथास्थिति, पत्तन या राज्य सरकार या प्राधिकरण या संगठन को ऐसे प्रदूषण की चुनौती का निवारण करने या रोकथाम करने के लिए लागू विधि के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “तटीय जल” पद से लगे हुए भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के किसी भाग के साथ-साथ भारत के राज्यक्षेत्रीय जल का कोई भाग या उससे संलग्न कोई समुद्रीय क्षेत्र, जिस पर राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतटीय-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्रीय प्रदूषण का नियंत्रण करने के संबंध में भारत का अनन्य क्षेत्राधिकार है या इसके पश्चात् हो सकेगा, अभिप्रेत होगा और इसमें सम्मिलित होगा ।

1976 का 80

अनुपालना
करवाने के लिए
निदेश ।

45. सरकार इस अध्याय के किसी भी उपबंध का अनुपालन करने के लिए किसी पत्तन या पत्तन अधिकारी को निदेश जारी कर सकेगी ।

अध्याय 9

20

फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

फीस और अन्य
प्रभारों का
उद्ग्रहण ।

46. निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक पत्तन पर ऐसी फीस या अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाएगा—

(क) ऐसे पत्तन द्वारा दी गई सेवाओं के बदले जलयानों या पोतों के स्वामियों या अभिकर्ताओं द्वारा पत्तन को संदेय प्रतिफल, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु ये उस तक ही सीमित नहीं हैं—

(i) पत्तन के सभी या किसी भाग के उपयोग या उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए ;

(ii) स्थोरा की लदाई या उतराई ;

(iii) यात्रियों का चढ़ना या उतरना ;

(iv) सामग्रियों का भंडारण ;

(v) जलयानों पर रसद या उपस्कर की पूर्ति ;

(vi) पत्तनों से संलग्न भूमि पर माल का हस्तांतरण, भंडारण और परिवहन तथा जलयानों द्वारा वहन किए जाने वाले यात्रियों का हस्तांतरण ;

(vii) मास्टर्स, कर्मीदल और अन्य कर्मिकों का चढ़ना या उतरना, यदि संदेय हो ;

(viii) जलयान की मरम्मत ;

(ix) पत्तन सीमाओं के भीतर नौवहन में सहायता का उपबंध ;

30

35

(x) पतन या पतन मार्गों के बीच यात्रियों या माल का वहन ;

(xi) ऐसे जलयानों से या उनमें यात्रियों का या माल की स्टीवडोरिंग, उतराई और पोत परिवहन ;

(xii) ऐसे किसी स्थान पर माल का घाट-भाड़ा, भंडारण या डेमेरेज ;

5 (xiii) विमान संचालन और बर्थ भाटक ;

(xiv) अनुकर्षण ; और

(xv) तटीय नगर भाग स्वामित्व ।

(ख) पतनों के अनुरक्षण से संबंधित पतन संकर्म के लिए पतन द्वारा या पतन को संदेय प्रतिफल ;

10 (ग) प्राधिकरण की या उसके कब्जे या अधिभोग में भूमि और संपत्ति के उपयोग से वसूली ।

47. (1)(क) प्रत्येक महापतन के लिए पतन टैरिफ निम्नलिखित द्वारा नियत की जाएगी—

पतन टैरिफ ।

15 (i) महापतन प्राधिकरण को बोर्ड या ऐसे व्यक्ति या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय; या

2013 का 18

(ii) यदि पतन कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निदेशक बोर्ड ।

20 (ख) महापतन से भिन्न प्रत्येक पतन के लिए पोर्ट टैरिफ संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड या ऐसे ग्राही संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा प्राधिकृत की जाए, द्वारा नियत की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत पतन टैरिफ को नियत करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण या रियायती-ग्राही या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा इलैक्ट्रानिकी रूप से प्रकाशित किया जाएगा ।

25 (3) उपधारा (1) के अधीन नियत पतन टैरिफ उसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रभावी होगा ।

(4) परिषद् पतन टैरिफ के संघटकों सहित पतन टैरिफ की पारदर्शिता से संबंधित किसी विषय में दिशानिर्देश जारी कर सकेगी ।

30 (5) प्राधिकरण, सरकार द्वारा किसी सिफारिश के आधार पर विशेष मामलों में इस अधिनियम के अधीन शोध्य या संदेय संपूर्ण फीस या फीस के किसी भाग या अन्य प्रभारों से छूट प्रदान कर सकेगी या परिहार कर सकेगी ।

48. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पतन पर किसी अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत करेगी, जो इस अधिनियम और उन्हें प्राप्त करने के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, संदेय शुल्क या अन्य प्रभारों को प्राप्त कर सकेगा ।

शुल्क या अन्य प्रभारों की प्राप्ति ।

35 (2) ऐसा अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय, जो फीस या अन्य प्रभार प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसी फीस या अन्य प्रभारों के बदले में प्राप्ति हेतु ऐसे प्ररूप और रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, पावती जारी करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) जारी करने वाले कार्यालय का नाम ;

(ख) ऐसा पतन या स्थान, जिस पर फीस या अन्य शोध्य और संदेय प्रभार संदत्त किए गए हैं ; और

(ग) ऐसे जलयान का नाम, सकल टन भार और अन्य उचित वर्णन, जिसके संबंध में, यथा लागू संदाय किया गया है ।

5

स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर द्वारा पहुंच की रिपोर्ट देना ।

49. प्रत्येक जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर पतन सीमाओं के भीतर ऐसे जलयान के पहुंच पर कोई अन्य शुल्क या अन्य प्रभार देने के लिए दायी होगा और ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित किया जाए, पतन अधिकारी को पहुंच की रिपोर्ट देगा ।

फीस या अन्य प्रभारों का संदाय करने पर परिरुद्ध और विक्रय से इंकार करना ।

50. (1) यदि किसी जलयान का मास्टर, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई फीस या अन्य प्रभार संदेय है, मांग पर उसे संदाय करने से इनकार करता है या असफल रहता है तो धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय ऐसे जलयान या उसके किसी भाग को तब तक परिरुद्ध या गिरफ्तार कर सकेगा जब तक शोध्य रकम का संदाय नहीं कर दिया जाए ।

10

(2) यदि फीस या अन्य प्रभारों का कोई भाग या परिरुद्ध या गिरफ्तार करने की लागत या परिरुद्ध या गिरफ्तार करके रखे गए जलयान के रखरखाव, ऐसे परिरुद्ध या गिरफ्तारी के पश्चात् पन्द्रह दिनों तक असंदत्त रहता है, तो ऐसा अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय ऐसे परिरुद्ध या गिरफ्तार जलयान को विक्रय कर सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से शुल्क या अन्य प्रभारों तथा लागत, जिसके अधीन अतिशेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है, वसूल कर सकेगा तथा अधिशेष, यदि कोई हो, ऐसे जलयान के मास्टर को उसकी मांग पर सौंप देगा :

15

परंतु जहां ऐसा जलयान किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के आदेश के अधीन गिरफ्तार किया गया है वहां फीस या अन्य प्रभार प्राप्त करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी जलयान या उसके भाग को ऐसे न्यायालय या प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से ही विक्रय कर सकेगा और फीस या अन्य प्रभारों तथा लागत, जिसके अंतर्गत अतिशेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है, वसूल कर सकेगा और अतिशेष का, यदि कोई हो, ऐसे न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के निदेशों या आदेश के अनुसार संवितरण करेगा ।

20

25

(3) जहां जलयान के विक्रय आगम शोध्य फीस या अन्य प्रभारों और लागत, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत असंदत्त है, समाधानप्रद रूप से अपर्याप्त है, वहां ऐसा प्राधिकारी, जो ऐसे फीस या अन्य देय प्रभारों की प्राप्ति हेतु नियुक्त किया गया है, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे जलयान के स्वामी को असंदत्त बकाए का ऐसे आदेश जारी करने के एक मास के भीतर संदाय करने हेतु निदेश दे सकेगा ।

30

पतन निकासी की मंजूरी ।

51. किसी जलयान को पतन निकासी की तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक उसके स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता या पतन उपयोक्ता ने निकासी प्रदान करने वाले अधिकारी के समाधान होने तक, ऐसी सभी फीसों या प्रभारों, और सभी जुर्मानों, शास्तियों तथा व्ययों, जिनके लिए जलयान या उसका स्वामी या मास्टर इस अधिनियम के अधीन दायी है, की रकम को संदत्त या प्रतिभूत न कर दिया हो ।

35

फीस या अन्य प्रभारों के संदाय का मास्टर द्वारा अपवंचन न करना ।

52. (1) किसी जलयान का मास्टर किसी शुल्क या अन्य प्रभारों के संदाय में अपवंचन नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन संदाय हेतु अपेक्षित है ।

(2) किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन की कार्यवाहियों में धारा 51 के अधीन पतन निकासी प्रदान करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज यह

40

कथन करते हुए जारी किया जाता है कि मास्टर ने ऐसे संदाय में अपवंचन किया है तो यह अपवंचन का सबूत तब तक होगा जब तक मास्टर मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद यह दर्शित करता है कि ऐसे जलयान का प्रस्थान का कारण मौसम की खराबी था अथवा ऐसे प्रस्थान के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आधार था ।

(3) जलयान जिस पतन की ओर अग्रसर होता है या जिसमें वह पाया जाता है, उस पतन पर इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की बाबत यह समझा जाएगा कि उसे इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अधिकारिता है ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रक्रिया

10

53. (1) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसके किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति का दायी होगा और यदि किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में कोई दंड या शास्ति विशेष रूप से उपबंधित नहीं है तो ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और यदि ऐसा भंग जारी रहता है तो ऐसी शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, एक हजार रुपए तक विस्तारित हो सकेगी ।

अपराध और
शास्तियां ।

15

(2) पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अपराध उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराध के सामने उस अनुसूची के तत्स्थानी स्तंभ (4) में उल्लिखित दंड के विस्तार तक दंडनीय होगा ।

20

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, जहां पहली अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन किसी पतन पर कोई अपराध किया जाता है, ऐसे अपराध के लिए उसके स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट जुर्माना ऐसे प्राधिकारी या छूट प्रदान करने वाले द्वारा संदेय होगा, जहां ऐसा पतन अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता हो ।

25

(3) जो कोई दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी उपबंध का उल्लंघन करता है वह उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के सामने उस अनुसूची के तत्स्थानी स्तंभ (4) में उल्लिखित शास्ति के विस्तार तक दायी होगा ।

30

54. (1) दूसरी अनुसूची के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी पतन अधिकारी होगा ।

शास्ति का
अधिरोपण करने
के लिए
प्राधिकारी और
उसकी प्रक्रिया ।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपण के प्रयोजनों हेतु जहां पतन अधिकारी व्यक्तियों का कोई निकाय है, शास्ति अधिरोपण के लिए प्राधिकारी से कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के निकाय के बीच से ऐसी रीति में नियुक्त किया जाए जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

35

(3) संरक्षक, दूसरी अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा ।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन जिसके लिए शास्ति का उपबंध किया गया है, ऐसे अधिकारी जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पहले उल्लंघन के लिए समनीय हो सकेगी ।

40

55. किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

अपराधों का
संज्ञान ।

विवाद समाधान
समिति के आदेशों
का अनुपालन
करने में
जानबूझकर
असफल रहने के
लिए शास्ति ।

जानकारी, आदि
प्रस्तुत करने में
असफल रहने के
लिए शास्ति ।

जुर्माने या शास्ति
की वसूली ।

व्यय और
नुकसानियों की
वसूली ।

करस्थम् के खर्च ।

उद्गृहीत की
जाने वाली रकम
के विवाद की
दशा में मजिस्ट्रेट
द्वारा उसका
अवधारण ।

विचारण का
स्थान और
अधिकारिता ।

56. यदि कोई व्यक्ति जो विवाद समाधान समिति के किसी आदेश की अनुपालना करने में जानबूझकर असफल रहता है जिसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके साथ ऐसी और शास्ति जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति क्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए तक विस्तारित हो सकेगी ।

57. कोई व्यक्ति,—

(क) कोई ऐसा कथन नहीं करेगा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा जिसे व्यक्ति जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई विशेष सामग्री मिथ्या है; या

(ख) किसी तात्त्विक तथ्य का यह जानते हुए लोप नहीं करेगा कि यह तात्त्विक है ; और

(ग) किसी दस्तावेज का, जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जानबूझकर उपांतरण नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं या नष्ट नहीं करेगा ।

58. प्रथम अनुसूची के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना, दूसरी अनुसूची के अधीन पतन अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति या जलयान या उसके भाग को जो आवश्यक समझा जाए, करस्थम् या विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा ।

59. (1) इस अधिनियम के अधीन व्ययों या नुकसानियों के रूप में संदत की जाने वाली राशि के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवादकारी पक्षकारों में से किसी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट को किए गए आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन व्ययों या नुकसानियों के रूप में बीस हजार रुपए से अनधिक किसी राशि को पतन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो यह कोई शास्ति या जुर्माना था ।

60. जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति, जुर्माना, व्यय या नुकसानी करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत किया जाए तब करस्थम् और विक्रय के खर्च, ऐसी शास्ति, जुर्माने, व्यय या नुकसानी के अतिरिक्त, धारा 59 में विनिर्दिष्ट रीति में उद्गृहीत किए जा सकेंगे ।

61. यदि इस अधिनियम के अधीन करस्थम् करके या बन्दी बनाकर उद्गृहीतीय रकम की बाबत या धारा 60 के अधीन संदेय खर्च की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो करस्थम् करने वाला या बन्दी बनाने वाला व्यक्ति करस्थम् किए गए या बन्दी बनाए गए माल को, अथवा उसके विक्रय के आगमों को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक उद्गृहीत की जाने वाली रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित नहीं कर दी जाए । मजिस्ट्रेट, उस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर, रकम का अवधारण कर सकेगा और पक्षकारों में से किसी अन्य पक्षकार को उतना खर्च दिला सकेगा जितना वह उचित समझे तथा यदि मांग करने पर ऐसे खर्च का संदाय नहीं किया जाता तो वह उसी प्रकार प्रवर्तित किया जाएगा जैसे जुर्माना ।

62. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह व्यक्ति पाया जाए या किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसकी किसी जिले पर या ऐसे पतन के निकटस्थ स्थान पर जिसमें ऐसा अपराध होता है या किसी ऐसे न्यायालय में

5

10

15

20

25

30

35

40

जहां उसका तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विचारण किया जा सके ।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का उसी रीति में और उसी विस्तार तक प्रयोग कर सकेगा मानो वह अपराध उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर किया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि अपराध ऐसी सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर नहीं किया गया है, तथा उस दशा में जब कोई ऐसा मजिस्ट्रेट उसे इस धारा द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करता है, वह अपराध, सभी प्रयोजनों के लिए, उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर स्थानीय तौर पर किया गया समझा जाएगा ।

63. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

कंपनियों द्वारा
अपराध ।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अधीन सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक”, से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

64. (1) जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज की तामील किसी व्यक्ति पर की जानी है तो वह दस्तावेज परिदत्त किए जाने की दशा में उसकी एक प्रति तामील किए जाने वाले व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से या उसे उसके अंतिम निवास के पते पर छोड़कर या डाक द्वारा तामील की जा सकेगी ।

दस्तावेजों की
तामील ।

(2) यदि कोई दस्तावेज, निम्नलिखित पर तामील किया जाना है तो—

(क) किसी पत्तन के बंदरगाह मास्टर पर जहां केवल एक हो, उसे उसके लिए पत्तन पर ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे व्यक्ति के पास जो पत्तन का प्रभारी प्रतीत हो, छोड़कर ;

(ख) किसी जलयान के मास्टर पर जहां केवल एक हो, उसे उसके लिए

जलयान के फलक पर ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे व्यक्ति के पास जो जलयान का प्रभारी प्रतीत हो, छोड़कर ; और

(ग) किसी जलयान के मास्टर पर ; या यदि कोई मास्टर नहीं है और जलयान भारत में है तो जलयान के स्वामी पर, या, यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है तो भारत में निवास करने वाले स्वामी के किसी अभिकर्ता पर, या, जहां ऐसा कोई अभिकर्ता ज्ञात नहीं है या ढूंढा नहीं जा सकता हो तो उसकी एक प्रति जलयान पर या पुल पर किसी उपयुक्त स्थान पर चस्पा द्वारा ।

पतन में विधि-
विरुद्ध ध्वजा
फहराना ।

65. (1) किसी पतन में, जहां पतन अधिकारी द्वारा ध्वजा फहराना अनिवार्य है, वहां कोई जलयान ऐसा ध्वज, झंडा, पताका या ध्वजा नहीं फहराएगा या ग्रहण करेगा या लगाएगा जिसका प्रयोग विधिविरुद्ध हो ।

(2) प्रत्येक ऐसा विदेशी जलयान जो भारत में पतन पर बुलाया जाता है, जलयान में देश का ध्वज और भारत गणराज्य का ध्वज फहराएगा ।

आपात तैयारी
और प्रत्युत्तर
योजना ।

66. (1) प्रत्येक पतन लागू विधियों के अनुसार सुरक्षा, संरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण घटनाओं के प्रयोजनों हेतु आपात तैयारी और प्रत्युत्तर योजना बनाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना, केंद्रीय सरकार को उसके अनुमोदन के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निदेशित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) केंद्रीय सरकार ऐसे सभी घटकों को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किए जाएं, विचार में लेने के पश्चात् योजना को अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ।

(4) संरक्षक अनुमोदित योजना का कार्यान्वयन करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा और केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यान्वयन की संपरीक्षा कर सकेगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, या तो स्वतः या उपधारा (4) के अधीन किसी संपरीक्षा के आधार पर, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश दे सकेगी और राष्ट्रीय आपात प्रत्युत्तर प्रणाली बना सकेगी ।

घटना की रिपोर्ट
करना ।

67. प्रत्येक पतन किसी घटना, जैसे संपत्ति नुकसान, जलयान डूबना, जलयान टकराना या आग लगना, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, की विशिष्टियां रिपोर्ट करेगा ।

नाविकों के लिए
समुद्र तट
आधारित
कल्याणकारी
सेवाएं ।

68. प्रत्येक पतन, पतन पर बुलाए जाने वाले जलयानों के नाविकों के लिए ऐसी समुद्र तट आधारित कल्याणकारी सेवाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाएं, उपलब्ध करेगा ।

पतन समुदाय
प्रणाली और
जलयान
यातायात सेवा ।

69. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पतन को ऐसे पतन से संबंधित डाटा को पतन समुदाय प्रणाली या किसी अन्य केंद्रीकृत प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत करने के लिए एक प्रणाली अपनाने का निर्देश दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।

(2) प्रत्येक पतन, पतन सीमाओं के भीतर लागू विधि के अनुसार जलयान यातायात सेवा बनाए रखेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “पतन समुदाय तंत्र” पद से ऐसा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तंत्र अभिप्रेत है जो पतनों और अन्य सुसंगत पणधारियों के लिए केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में

अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक यातायात को सुकर बनाने हेतु अभिसमय, 1965 या कोई अन्य अपेक्षा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित की जाए, प्रस्तुत की गई या आदान-प्रदान की गई व्यापार संबंधित सूचना एकीकृत करने के लिए कार्य करे ;

(ख) “जलयान यातायात सेवा” का वही अर्थ होगा जो नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 में उसका है ।

2021 का 20 5

70. केंद्रीय सरकार, ऐसे पतन, पतन सुविधा प्रदाता, पतन अधिकारी या व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, पतनों पर संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी ।

1958 का 44

अनुपालना संरक्षित करने हेतु आदेश ।

10

71. कोई पतन, जिसमें तात्त्विक स्वामित्व परिवर्तन या प्रभावी नियंत्रण परिवर्तन हो रहा हो वह केंद्रीय सरकार से या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसे प्ररूप तथा रीति में ऐसे समय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए, पूर्व निकासी अभिप्राप्त करेगा ।

पूर्व निकासी ।

15

72. (1) प्रत्येक पतन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन, जिसका भारत पक्षकार है, ऐसे अभिसमयों के अनुसार बाध्यताओं का निर्वहन हो ।

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन पतनों की बाध्यताएं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिसमयों के अधीन पतनों द्वारा निर्वहन की जाने वाली बाध्यताएं ऐसी होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

20

73. (1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी पतन का बड़े पतन के रूप में वर्गीकरण करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

बड़े पतन की अधिसूचना ।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी महापतन को, जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित मानदंड को पूरा करता है, बड़े पतन के रूप में अधिसूचित कर सकेगी ।

25

(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, महापतन से भिन्न किसी पतन को, जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित मानदंड को पूरा करता है, बड़े पतन के रूप में अधिसूचित कर सकेगी ।

(4) कोई पतन, इस धारा के अधीन उसके बड़े पतन के रूप में वर्गीकरण के होते हुए भी, या तो महापतन के रूप में या महापतन से भिन्न किसी पतन के रूप में, यथा लागू, अपनी प्रास्थिति को बनाए रखेगा, और ऐसे पतन को लागू संबद्ध विधियों से शासित होना जारी रखेगा ।

30

2023 का 45

74. परिषद् के सभी सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के खंड (28) के अर्थातर्गत, इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित करते हुए लोक सेवक समझा जाएगा ।

परिषद् के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारी और कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना ।

2021 का 1

1958 का 44 35

75. इस अधिनियम के उपबंध महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, जहां तक उनका संबंध पतनों से है, के अतिरिक्त होंगे न कि इनके अल्पीकरण में ।

कतिपय विधियों का लागू होना ।

76. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

40

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् के कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले पतन के अन्य अधिकारी ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) धारा 18 की उपधारा (6) के अधीन ऐसी शक्तियां, जिनका पतन अधिकारी और ऐसे व्यक्तियों, जिनको ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकेंगी, का प्रत्यायोजन ;

(ङ) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिकर उपधारित करने के लिए बाधा हटाने या उपांतरित करने की रीति और घटक ;

(च) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले स्वास्थ्य अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(छ) धारा 24 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन संक्रमित जाने में किए जाने वाले उपाय ;

(ज) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन संदत किए जाने वाले व्यय का अवधारण करने के लिए ;

(झ) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन शुल्कों और अन्य प्रभारों की प्राप्ति का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी निकाय से पतन अधिकारी की नियुक्ति की रीति ;

(ट) धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन पतनों द्वारा निर्वहन की जाने वाली बाध्यताएं ।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

77. (1) राज्य सरकार, राज्य राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन राज्य समुद्रीय बोर्ड को निर्दिष्ट विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ख) अन्य मामले, जिनके संबंध में राज्य समुद्रीय बोर्ड धारा 16 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले पतन के अन्य अधिकारी ;

(घ) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ड) धारा 18 की उपधारा (6) के अधीन ऐसी शक्तियाँ, जिनका पतन अधिकारी और ऐसे व्यक्तियों, जिनको ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकेंगी, का प्रत्यायोजन ;

5 (च) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिकर उपधारित करने के लिए बाधा हटाने या उपांतरित करने की रीति और घटक ;

(छ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले स्वास्थ्य अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 24 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन संक्रमित हो जाने में किए जाने वाले उपाय ;

10 (झ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन संदत्त किए जाने वाले व्ययों का अवधारण करने लिए संरक्षक द्वारा विचार में लिए जाने वाले घटक ;

(ञ) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन शुल्कों और अन्य प्रभारों की प्राप्ति का प्ररूप और रीति ;

15 (ट) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी निकाय से पतन अधिकारी की नियुक्ति की रीति ।

78. (1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

20 (2) ऐसे नियम, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन पतनों की ओर जाने वाली नौपरिवहन नदियों और जलसरणियों के किसी भाग की अधिसूचना का प्ररूप और रीति ;

25 (ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी नए पतन को और पतन की सीमाओं में परिवर्तन को अधिसूचित करने का प्ररूप और रीति ;

(ग) धारा 24 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन पतन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई और व्यक्तियों को दिए गए निदेश ;

30 (घ) धारा 24 की उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन मास्टर द्वारा रोग की रिपोर्टिंग की रीति ;

(ङ) धारा 36 के अधीन पतन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली प्राप्ति प्रसुविधाओं की शर्तें ;

(च) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन पतन अपशिष्ट प्राप्ति तैयार करने और हथालन योजना का प्ररूप और रीति ;

35 (छ) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन पतन अपशिष्ट प्राप्ति और हथालन योजना के विषय में ऐसी सूचना की रीति ;

(ज) धारा 39 के अधीन अग्रिम अपशिष्ट नोटिस प्रस्तुत करने का प्ररूप, रीति और समय ;

40 (झ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन जलयान सृजित अपशिष्ट सुपुर्दगी रसीद जारी करने का प्ररूप और रीति ;

राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

- (ज) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपशिष्ट सुपुर्दगी की शर्तें ;
- (ट) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन पत्तनों की संपरीक्षा करने के अंतराल और रीति ;
- (ठ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन घटना की रिपोर्ट करने की रीति ;
- (ड) धारा 49 के अधीन पतन पर जलयान के पहुंच का प्ररूप, रीति और रिपोर्ट करने का समय ;
- (ढ) धारा 67 के अधीन घटना के रिपोर्ट करने की रीति ;
- (ण) धारा 68 के अधीन समुद्र तट आधारित कल्याणकारी सेवाओं हेतु उपबंध ।

परिषद् की
विनियम बनाने
की शक्ति ।

79. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् की बैठक में अध्यक्ष द्वारा व्यक्तियों को आमंत्रित करने की रीति और शर्तें ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् की बैठक में कारबार के संव्यवहार की रीति ;

(ग) ऐसे अन्य मामले, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या किए जा सकें ।

परिषद् को
दिशानिर्देश जारी
करने की
शक्ति ।

80. (1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संगत ऐसे दिशानिर्देश जारी करके, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (अ) के अधीन डाटा या सूचना का संग्रहण किए जाने और संग्रहण, भंडारण तथा अद्यतन करने ऐसे डाटा या सूचना को परिषद् को प्रस्तुत करने की रीति ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (आ) के अधीन पत्तनों से संबंधित सूचना के प्रसार, रिकार्ड, डाटा और शोध अध्ययन की रीति;

(ग) धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन पतन टैरिफ की पारदर्शिता और इसके घटकों से संबंधित मामले ;

(घ) ऐसे अन्य मामले, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या किए जा सकें ।

संसद् और राज्य
विधान सभाओं
के समक्ष नियम
और विनियमों
का रखा जाना ।

81. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस

5

नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां राज्य विधान-मंडल का केवल एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

10

82. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकरण या सरकार के कर्मचारियों या प्राधिकरण या परिषद् के सदस्यों या कर्मचारियों, परिषद् या उसके कियी सदस्य या कर्मचारी या पत्तन अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

15

83. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (4) को, शास्ति की रकम को बढ़ाकर, जो शास्ति की रकम, जब अधिनियम पहली बार अधिनियमित किया गया था, के दुगुने से अधिक नहीं होगी, संशोधित कर सकेगी।

दूसरी अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

20

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

84. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

25

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1908 का 15

85. (1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति।

30

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाया गया कोई नियम, विनियम, उपविधि, किया गया आदेश या अनुदत्त छूट का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो इस अधिनियम के अधीन नई अधिसूचना जारी किए जाने, नियम, विनियम, उपविधि बनाए जाने, आदेश किए जाने या छूट अनुदत्त किए जाने तक, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई हो, बनाया गया हो, किया गया हो या अनुदत्त हो ;

35

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय, नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति और गठित कोई निकाय, जारी रहेगा और इस अधिनियम के अधीन स्थापित, सृजित, नियुक्त या गठित किया गया समझा जाएगा ;

40

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज, इस अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट समझा जाएगा ;

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम में अधिरोपित कोई जुर्माना या शास्ति इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो वह इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया गया हो ;

5

(ङ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन कारित कोई अपराध इस प्रकार अभियोजित और दंडित किया जा सकेगा, मानो वह इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया हो ;

(च) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही का, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विचारण और निपटान किया जा सकेगा ;

16

(छ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए जाने के लिए आदेशित कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच, इस प्रकार की जाती रहेगी, मानो ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए जाने के लिए आदेशित किया गया हो ।

15

(3) इस धारा में, निरसन के प्रभाव के संबंध में, विशिष्ट मामलों के उल्लेख से साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से या प्रतिकूल रूप से लागू होना प्रभावित नहीं होगा ।

1897 का 10

पहली अनुसूची
[धारा 53(2) देखिए]
कतिपय अपराधों के लिए दंड

क्रम सं.	अपराध	धारा जिसमें अपराध निर्दिष्ट है	दंड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई पत्तन धारा 10 के उल्लंघन में प्रचालनों को प्रारंभ करता या करता है।	10	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।
2.	यदि कोई गैर-महापत्तन या पत्तन अधिकारी धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समुद्रीय बोर्ड के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	15(3)	पत्तन अधिकारी द्वारा उल्लंघन की दशा में, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा। पत्तन द्वारा उल्लंघन की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा।
3.	यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 27 के उल्लंघन में गून या हाजर बांधने की अनुज्ञा देने में या किसी गून या हाजर को छोड़ने में असफल रहता है।	27	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों।
4.	यदि मास्टर धारा 28 के उल्लंघन में आग को बुझाने का आदेश देने में जानबूझकर लोप करता है या संरक्षक या किसी व्यक्ति को आग को बुझाने से या बुझाने का प्रयास करने से बाधित करता है।	28	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों।
5.	यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के उल्लंघन में जलयान	29(1)	कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख

- की सुरक्षा से संबंधित कोई कृत्य करता है या करने का लोप करता है ।
6. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 29 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी पतन में अपने जलयान से जोड़े गए किसी गून या हाजर को छोड़ेगा या सहन करेगा । 29(2) कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
7. यदि कोई व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (3) के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है । 29(3) कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
8. यदि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति धारा 30 के उल्लंघन में खोए हुए भंडारों की तलाशी करता है । 30 कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
9. यदि कोई व्यक्ति धारा 31 के उल्लंघन में किसी तट या किनारे को क्षति पहुंचाता है । 31 कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
10. यदि कोई पतन धारा 36 के उल्लंघन में पर्याप्त ग्रहण सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है । 36 जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
11. कोई पतन जो धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । 37 जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
12. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (1) के उल्लंघन में पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना तैयार करने में असफल रहता है । 38(1) जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
13. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (2) के उल्लंघन में अनुमोदित पतन अपशिष्ट ग्रहण करने और संभलाई योजना के कार्यान्वयन में असफल रहता है । 38(2) जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
14. यदि कोई पतन धारा 38 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान की कोई सूचना संसूचित करने में असफल रहता है । 38 (3) जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
15. यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट देने में असफल 44(1) जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

- रहता है ।
- | | | | |
|-----|--|-------|---|
| 16. | यदि कोई पतन धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । | 44(2) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और इसके अतिरिक्त, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहता है दस हजार रुपए तक का हो सकेगा । |
| 17. | यदि कोई पतन धारा 66 की उपधारा (1) के उल्लंघन में आनुषंगिक आपात तैयारी और प्रतिक्रिया योजना के बचाव, सुरक्षा और प्रदूषण की तैयारी करने में असफल रहता है । | 66(1) | जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 18. | यदि कोई पतन धारा 66 की उपधारा (4) के उल्लंघन में संरक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । | 66(4) | जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 19. | यदि कोई पतन धारा 67 के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करने में असफल रहता है । | 67 | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 20. | यदि कोई पतन धारा 68 के उल्लंघन में किनारा आधारित कल्याण सेवा प्रदान करने में असफल रहता है । | 68 | जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा । |
| 21. | यदि कोई पतन धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है । | 69(1) | जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा । |
| 22. | यदि कोई पतन धारा 69 की उपधारा (2) के उल्लंघन में जलयान यातायात सेवा का विकास या रखरखाव करने में असफल रहता है । | 69(2) | जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा । |
| 23. | यदि कोई पतन धारा 71 के उल्लंघन में पूर्विक अनापत्ति अभिप्राप्त करने में असफल रहता है । | 71 | जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा । |

दूसरी अनुसूची

[धारा 53(3) देखिए]

कतिपय उल्लंघनों के लिए शास्ति

क्रं सं.	उल्लंघन	धारा	शास्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन जारी किए गए संरक्षक के किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है ।	19	जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
2.	यदि किसी स्वामी ने बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 20 के अधीन ऐसी बाधा या अड़चन डाली है ।	20	जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसी जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है बीस हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा ।
3.	यदि जलयान का कोई मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति धारा 22 की उपधारा (1) के उल्लंघन में संरक्षक की बिना किसी सहायता के बोरों या मुरिगों को उठाएगा ।	22(1)	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
4.	यदि जलयान का मास्टर या भवन या स्थान का कब्जाधारी या अधिभोगी कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के धारा 23 के उल्लंघन में संरक्षक या किसी व्यक्ति को ऐसे जलयान, भवन या स्थान पर चढ़ने नहीं देता या उसमें प्रवेश नहीं करने देता है ।	23	जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए से अनधिक का हो सकेगा ।
5.	यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण कारण से, धारा 26 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी संपत्ति को हटाता है, नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है ।	26(1)	जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, पत्तन को हुई किसी हानि, विनाश या क्षति के व्ययों का जिसके अन्तर्गत किए गए किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के व्यय भी हैं ।
6.	यदि जलयान का कोई स्वामी या मास्टर धारा 32 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी पत्तन में प्रवेश करता है या छोड़ता है या लाया जाएगा ।	32(1)	जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
7.	यदि जलयान का कोई प्रचालक अभिकर्ता	39	जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो

- या मास्टर धारा 39 के उल्लंघन में अग्रिम अपशिष्ट सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।
8. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 40 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अपने सभी जलयान उत्पादित अपशिष्ट को ग्रहण सुविधा तक पहुंचाने में असफल रहता है 40(1) जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।
9. यदि जलयान का स्वामी या मास्टर धारा 41 के अधीन संदेय प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है या शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है । 41 जुर्माने से जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसी जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दो हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
10. यदि कोई व्यक्ति धारा 43 के उल्लंघन में पोर्टल पर सूचना अपलोड करने में असफल रहता है । 43 जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
11. यदि कोई प्राधिकारी या रियायती या व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय धारा 47 की उपधारा (2) के उल्लंघन में पतन टैरिफ प्रकाशित करने में असफल रहता है । 47(2) जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसी जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
12. यदि जलयान का कोई स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 49 के उल्लंघन में जलयान के पहुंचने की रिपोर्ट देने में असफल रहता है । 49 जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
13. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 52 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किन्हीं फीसों या अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है । 52(1) जुर्माने से, जो न्यूनतम बीस हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, फीस की रकम या अन्य देय प्रभारों की दुगुनी हो सकेगी ।
14. यदि कोई व्यक्ति धारा 57 के उल्लंघन में सूचना देने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है । 57 जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त, ऐसी जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है दो हजार रुपए तक का हो सकेगा ।
15. यदि जलयान का कोई मास्टर धारा 65 के उल्लंघन में कोई ध्वज विधिविरुद्धतया फहराता है या फहराने में असफल रहता है । 65 जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 13(1) देखिए]

राज्य अधिनियमों के अधीन गठित या स्थापित राज्य समुद्रीय बोर्ड

क्रं. सं.	राज्य समुद्रीय बोर्ड का नाम	राज्य अधिनियम का नाम	स्थापना की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुजरात समुद्रीय बोर्ड	गुजरात समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 1981 (1981 का गुजरात अधिनियम सं. 30)	3 नवंबर, 1981
2.	महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड	महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 1996 (1997 का महाराष्ट्र अधिनियम सं. 15)	4 अक्टूबर, 1996
3.	तमिलनाडु समुद्रीय बोर्ड	तमिलनाडु समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 1995 (1996 का तमिलनाडु अधिनियम सं. 4)	18 मार्च, 1997
4.	पश्चिमी बंगाल समुद्रीय बोर्ड	पश्चिमी बंगाल समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 2000 (2000 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 30)	1 अक्टूबर, 2015
5.	कर्नाटक समुद्रीय बोर्ड	कर्नाटक समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 2015 (2017 का कर्नाटक अधिनियम सं. 41)	9 सितंबर, 2019
6.	केरल समुद्रीय बोर्ड	केरल समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 2017 (2017 का केरल अधिनियम सं. 16)	2 फरवरी, 2018
7.	आंध्र प्रदेश समुद्रीय बोर्ड	आंध्र प्रदेश समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 2018 (2019 का आंध्र प्रदेश अधिनियम, सं. 16)	16 दिसंबर, 2019
8.	ओडिशा समुद्रीय बोर्ड	ओडिशा राज्य समुद्रीय बोर्ड अधिनियम, 2022 (2022 का ओडिशा अधिनियम सं. 1)	28 मार्च, 2022

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय पतन अधिनियम, 1908 (1908 अधिनियम), एक स्वतंत्रता- पूर्व विधान था, जिसे पतनों और पतन-प्रभारों संबंधी विधियों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें अधिनियम के प्रयोजनीयता को बढ़ाने या वापस लेने तथा पतन सीमाओं में परिवर्तन करने, पतन पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्यों, पतन की सुरक्षा और संरक्षण, पतन शोध्यों, फीसों और अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण, शास्तियों तथा अनुपूरक उपबंधों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित थे।

2. भारत ने प्रचालनात्मक पतनों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पतनों पर प्रबंध किए जा रहे समग्र यातायात को देखा है। 1908 के अधिनियम को अधिनियमित किए जाने के समय से ही, पतनों के वाणिज्यिक प्रचालनों और पतनों के प्रदूषण के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। नियोजित रीति में पतन क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने के लिए वर्तमान काल के कार्यवाहों को प्रतिबंधित करने, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को समाविष्ट करने, उभरते हुए पर्यावरणीय विषयों का समाधान करने तथा राष्ट्रीय हित में पतन क्षेत्र के परामर्शों विकास में सहायता करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

3. प्रस्तावित विधान अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए है जिससे हमारी घरेलू प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधीनस्थ विधान बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति अनुज्ञात करता है। यह पतनों के विकास को और एकीकृत करने के लिए है जिससे भारतीय तटरेखा का उपयोग संसक्त और पोषणीय रीति में किया जा सके। यह प्रत्येक तटीय राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के भीतर महापतनों से भिन्न पतनों का प्रभावी रूप से प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को सुदृढ़ तथा सशक्त करने के लिए भी है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय पतन अधिनियम, 1908 को निरसित करना और समकालीन तथा परिवर्तनात्मक विधान के लिए उपबंध करना अनिवार्य हो गया है जिससे भारत की आवश्यकताओं को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा किया जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय पतन विधेयक, 2025 निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात्:—

(i) “समुचित सरकार” या “सरकार” पद को परिभाषित करना और यह स्पष्ट करना कि महापतनों के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है; और महापतनों से भिन्न पतनों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) सभी विद्यमान पतनों, जिनको भारतीय पतन अधिनियम, 1908 के उपबंध लागू हुए हैं; विधेयक के अधीन अधिसूचित सभी नए पतनों; नाव्य नदी या चैनल के अधिसूचित भागों, जिनका परिणाम ऐसा नया पतन है; पतन सीमाओं के भीतर सभी जलयानों और पतन के किसी भाग का उपयोग करने वाले सभी वायुयानों, जब वे जल पर हों, को लागू होता है ;

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद् के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले निकाय जो अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार को सिफारिशें, जिनके अंतर्गत भारत में पतनों के लिए दक्ष और अनुकूल कार्य ढांचा; पतन सेक्टर के विकास के लिए उपाय भी है और पतनों के प्रचालन में

प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता को बढ़ाना तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करना भी है, करने के लिए उत्तरदायी होगा, की स्थापना ;

(iv) सरकार को नए पतन को अधिसूचित करने या किसी पतन की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए सशक्त करना ;

(v) केंद्रीय सरकार को समुद्री व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने तथा पतनों के सहयुक्त अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने के लिए सशक्त करना ;

(vi) राज्य सरकार या व्यक्तियों के निकाय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित या गठित राज्य समुद्री बोर्डों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करते हैं और महापतनों से भिन्न पतनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षणीय, विकासात्मक तथा अन्य कृत्यों के साथ राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त करने के लिए उपबंध करना ;

(vii) नए न्याय निर्णायिक तंत्र के सृजन के लिए उपबंध करना जो प्रत्येक राज्य सरकार से महापतनों से भिन्न पतनों, ग्राहियों, पतन उपयोगकर्ताओं तथा राज्य के भीतर पतन सेवा प्रदाताओं के बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा विवाद समाधान समिति गठित करने की अपेक्षा करता है और किसी ऐसे विषय को ग्रहण करने से सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को वर्जित करता है जिसका अवधारण करने के लिए वह विवाद समाधान समिति विधेयक के अधीन सशक्त है ;

(viii) पतनों पर प्रभावी अधीक्षण के लिए संरक्षकों की शक्तियों का वहां तक विस्तार किया गया है, जहां तक पतनों की सुरक्षा और संरक्षण का संबंध है ;

(ix) पोत के स्थिरक भार जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंवेन्शन, 2004 तथा पोतों से प्रदूषण के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंवेन्शन, 1973, जिसके अंतर्गत इसका 1978 का प्रोटोकॉल भी है, के अनुपालन में ग्रहण सुविधाओं के उपबंध को अनिवार्य करना ;

(x) पतन अवशिष्ट ग्रहण को तैयार करने के लिए तथा प्रत्येक पतन द्वारा योजना प्रबंधन का उपबंध करना ;

(xi) महापतन प्राधिकरण के बोर्ड या निदेशक बोर्ड को वहां सशक्त करना, जहां महापतन, महापतनों के लिए पतन टैरिफ नियत करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और महापतन से भिन्न प्रत्येक पतन के लिए पतन टैरिफ नियत करने के लिए संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड को सशक्त करना ;

(xii) आपात तत्परता की तैयारी के लिए और रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा प्रदूषण घटनाओं के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पतन द्वारा मोचन योजना के लिए उपबंध करना ;

(xiii) अपराधों के लिए उपबंध करना और अपराधों के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सशक्त करना ;

(xiv) शास्तियों और प्रक्रियाओं के लिए उपबंध करना और इन उल्लंघनों के

प्रति शास्ति अधिरोपित करने के लिए संरक्षक को सशक्त करना ;

(xv) केंद्रीय सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पतन संबंधी डाटा एकीकृत करने के लिए तंत्र अपनाने हेतु पतनों को निदेश देने के संबंध में सशक्त करना ;

(xvi) जब पतन में सारवान स्वामित्व या प्रभावी नियंत्रण में परिवर्तन किया जा रहा है, तब केंद्रीय सरकार से पूर्व अनापत्ति की अपेक्षा ;

(xvii) अधिसूचना द्वारा महापतन या किसी मेगापतन के रूप में महापतन से भिन्न किसी पतन का उस समय वर्गीकरण, जब ऐसा पतन राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंड को पूरा करता है ;

(xviii) यह स्पष्ट करना कि विधेयक महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, जैसे विद्यमान विधानों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में ;

(xix) केंद्रीय सरकार को ऐसे उपबंध करने के लिए सशक्त करना जो इस विधेयक के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उसे विधेयक के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व कठिनाई को दूर करने के लिए, आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं ;

(xx) भारतीय पतन अधिनियम, 1908 को निरसित करना तथा तद्धीन की गई कतिपय कार्यवाइयों की व्यावृत्ति के लिए उपबंध करना ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तार से स्पष्ट करते हैं।

6. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 मार्च, 2025

सर्बानंद सोनोवाल

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होने का उपबंध करने के लिए है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी पतनों, ऐसे पतनों की ओर जाने वाली नौ परिवहन नदियों और जलसरणियों के किसी भाग पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, पतन की सीमाओं के भीतर सभी जलयानों और किसी पतन का उपयोग करने वाले सभी वायुयानों पर, जब वे जलक्षेत्र में हैं, लागू होने को विनिर्दिष्ट करता है। यह उन जलयानों को भी विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर विधेयक लागू नहीं होगा, जिनमें सेना या सरकार की गैर वाणिज्यिक सेवा, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों, केन्द्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस तथा ऐसे अन्य अभिकरणों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, से संबंधित या उनके लिए अनन्य रूप से सेवारत पतन के किसी भाग का उपयोग करने वाले किसी पतन या नौ परिवहन नदियों और जलसरणियों या जलयान या जलयानों के वर्ग, कोई जलयान या कोई वायुयान ; केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उनके लिए सेवारत कोई जलयान, या कोई विदेशी युद्ध जलयान सम्मिलित है।

खंड 2—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, “समुचित सरकार” या “सरकार”, “रियायतग्राही”, “विद्यमान पतन”, “बड़े पतन”, “मूरिंग”, “नया पतन”, “पतन”, “पतन सीमाएं”, “पतन टैरिफ”, “पतन संकर्म”, “राज्य”, “राज्य समुद्रीय बोर्ड”, “अनुसूची”, “सुरक्षा”, “जलयान” सम्मिलित हैं।

खंड 3—यह खंड राज्य समुद्रीय विकास परिषद् की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, जिसके अध्यक्ष पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संघीय मंत्री होंगे और अन्य सदस्य, अर्थात् प्रत्येक राज्य के पतन का भारसाधक मंत्री ; पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का भारसाधक मंत्री और सभी अन्य तटीय संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक ; केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला तटीय सुरक्षा से व्यवहार करने वाला भारतीय नौसेना में सचिव, भारत सरकार या समतुल्य पंक्ति ; केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला तटीय सुरक्षा से व्यवहार करने वाला भारतीय तटरक्षक में सचिव, भारत सरकार या समतुल्य पंक्ति ; राष्ट्रीय समुद्रीय सुरक्षा समन्वयक होंगे ; तथा सदस्य सचिव के रूप में भारत सरकार के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का सचिव, भारत सरकार, होगा। परिषद् के सदस्य का पद, लाभ का पद नहीं समझा जाएगा।

खंड 4—यह खंड परिषद् के कार्यों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश के लिए अध्यक्ष को सशक्त करता है।

खंड 5—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल, परिषद् में किसी रिक्ति, या परिषद् के गठन में किसी त्रुटि, या किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि, या परिषद् की प्रक्रिया में किसी अनियमितता, यदि ऐसी अनियमितता मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है, के कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी।

खंड 6—यह खंड परिषद् के कृत्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उनमें विनिर्दिष्ट मामलों पर सरकार को सिफारिशें करना ; उनमें विनिर्दिष्ट मामलों पर, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के परामर्श से, मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना ; और उसके कृत्यों के निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी

प्राधिकारी या पतन या व्यक्ति से सूचना मंगाना, सम्मिलित हैं ।

खंड 7—यह खंड, परिषद् के कृत्यों के निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए, केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । यह परिषद् के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें विहित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 8—यह खंड, इस विधेयक के अधीन परिषद् के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा अपेक्षित धनराशियों का अनुदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 9—यह खंड, परिषद् को, साधारण या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा, किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, परिषद् के किसी सदस्य या कर्मचारी को, विनियम बनाने या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति के सिवाय, उसकी शक्तियां और कृत्य, प्रत्यायोजित करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 10—यह खंड, किसी पतन को क्रियाकलाप प्रारंभ करने या प्रचालित करने से अननुज्ञात करने के लिए है, जब तक वह कोई विद्यमान पतन है या कोई नया पतन है, जो खंड 11 के अनुसार सम्यक् रूप से अधिसूचित है ।

खंड 11—यह खंड, केन्द्रीय सरकार को नए पतन को अधिसूचित करने और किसी पतन की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु सशक्त करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि अधिसूचना का, जो किसी पतन की सीमाओं में परिवर्तन करेगी, भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा । यह खंड राज्य सरकार के परामर्श से, नया पतन घोषित करने के लिए और पतन की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए मानदंड, प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को, सशक्त करता है ।

खंड 12—यह खंड, समुद्री व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा करने और सहबद्ध अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और परिषद् द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करेंगे ।

खंड 13—यह खंड उपबंध करता है कि तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक राज्य समुद्री बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से स्थापित या गठित किया गया समझा जाएगा । यह खंड उपबंध करता है कि जहां राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना या गठन नहीं किया गया है, वहां राज्य सरकारों को राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना करना और उन्हें अधिसूचित करना अनिवार्य होगा । राज्य समुद्री बोर्ड, एक सुभिन्न विधिक इकाई होगी, जिसके पास, विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविदा करने, संपत्ति के अर्जन, धारण और निपटान करने की, शक्ति होगी, वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा । राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस स्थान को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जहां राज्य समुद्री बोर्ड का मुख्यालय होगा ।

खंड 14—यह खंड राज्य सरकार द्वारा राज्य समुद्री बोर्ड को आस्तियों और दायित्वों के अंतरण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की तारीख से ही या उसकी अधिसूचना की तारीख से ही, समस्त पतन भूमि, संपत्ति, आस्तियां, निधियां, संपत्ति में हित और राज्य सरकार में निहित या को देय दरों, फीस और अन्य धनराशियों के उद्ग्रहण के सभी अधिकार, राज्य

समुद्री बोर्ड को अंतरित करेगी। यह और उपबंध करता है कि राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की तारीख या उसकी अधिसूचना की तारीख से पूर्व, राज्य सरकार के लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं, संविदाएं और विधिक कार्यवाहियां, राज्य समुद्री बोर्ड को अंतरित होंगी। राज्य समुद्री बोर्ड, राज्य सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध, प्रारंभ सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जारी रखेगा।

खंड 15—यह खंड संबंधित राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर महापतनों से भिन्न सभी पतनों के संबंध में राज्य समुद्री बोर्ड के विभिन्न कृत्यों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पतनों के विकास के लिए योजनाएं प्रारंभ करना; पतनों के उपयोग में अभिवृद्धि, उसका विकास और सुधार करना; केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षा अनुमति प्राप्त होने के अध्यधीन रहते हुए नए पतनों का विकास करना, सम्मिलित हैं। यह, महापतनों से भिन्न किसी पतन को या ऐसे पतन के किसी अधिकारी को, विधेयक के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देश जारी करने हेतु राज्य समुद्री बोर्ड को सशक्त करने के लिए भी है।

खंड 16—यह खंड प्रत्येक राज्य सरकार को, महापतनों से भिन्न पतनों, रियायतग्राहियों, पतन उपयोक्ताओं और पतन सेवा प्रदाताओं के मध्य उद्भूत होने वाले किन्हीं विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, अधिसूचना द्वारा, तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी विवाद समाधान समिति के गठन के लिए आज्ञापक बनाता है, जब तक कि पक्षकार, माध्यस्थता या किसी अन्य विवाद समाधान तंत्र के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। किसी विवाद के विनिश्चय की समयसीमा छह मास होगी, जो, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध किए जाने के पश्चात्, एक समय में तीन और मास के लिए बढ़ाई जा सकेगी, किंतु बारह मास से अधिक नहीं होगी। यह विवाद समाधान समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदत्त करता है। खंड यह भी उपबंध करता है कि विवाद समाधान समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार, समुचित अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिसको पक्षकार द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त की जाती है, अपील कर सकेगा।

खंड 17—यह खंड किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता का, ऐसे किसी मामले के संबंध में कोई वाद या कार्यवाई करने से वर्जन करने का उपबंध करने के लिए है, जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विवाद समाधान समिति सशक्त है।

खंड 18—यह खंड सरकार द्वारा, प्रत्येक पतन या दो या अधिक पतनों के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है, और संरक्षक, सरकार या प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन होगा। यह खंड प्रत्येक पतन के लिए, किसी बंदरगाह मास्टर या पतन के उतने अधिकारियों की नियुक्ति को, जितने सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित किए जाएं, आज्ञापक बनाता है। किसी पतन में कार्य कर रहे सभी अधिकारी, संरक्षक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे। यह संरक्षक को, सरकार के अनुमोदन से, ऐसी शक्तियां, ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए भी सशक्त करता है, जो सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाएं।

खंड 19—यह खंड संरक्षक को, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए, किसी पतन के भीतर किसी जलयान को ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी जलयान की बर्थिंग, मुरिंग या लंगर डालना; पतन के भीतर किसी जलयान को किसी स्थान से किसी अन्य स्थान पर हटाना और वह समय, जिसके भीतर ऐसा किया

जाएगा ; जलयानों के संचलन का विनियमन, निर्बंधन या प्रतिषेध ; किसी जलयान के मास्टर को समुचित कर्मिंदल को रखने का निदेश देना ; किसी जलयान को पतन में प्रविष्ट होने या उससे बाहर जाने का प्रतिषेध ; या पतन में किसी जलयान की सुरक्षा को खतरे में डालना सम्मिलित हैं । यह संरक्षक को, यदि ऐसा व्यक्ति संरक्षक के किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या अनदेखी करता है, तो कोई भी कार्रवाई करने और ऐसे व्यक्ति को निदेशों को प्रभावी करने में उपगत हुए सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 20—यह खंड संरक्षक को, स्वयं या किसी बाह्य अभिकरण या पतन अधिकारी के माध्यम से, पतन के प्रचालन में या पतन के किसी भाग में किसी अवरोध को या किसी अन्य कार्य को हटाने के लिए सशक्त करता है । यह किसी ऐसी अवरोध के स्वामी से अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हटाए जाने के लिए उपगत युक्तियुक्त व्ययों का संदाय करे, तथापि, यदि स्वामी ऐसा संदाय करने से बचता है, तो व्यय की वसूली के लिए अवरोध कारित करने वाली वस्तु की सार्वजनिक नीलामी की जा सकेगी और विक्रय के आगमों से ऐसे हटाए जाने पर उपगत व्ययों को वसूल सकेगा और ऐसे आगमों का आधिक्य या अवरोध के भाग को स्वामी को वापस कर दिया जाएगा या ऐसी रीति में जमा किया जाएगा, जैसा सरकार निदेश दे । यदि अवरोध के रखने में व्यय उपगत होते हैं, तो उसे बचे हुए अविक्रीत अवरोध के अतिरिक्त विक्रय से वसूला जाएगा । खंड यह भी कथन करता है कि यदि संरक्षक द्वारा हटाई जाने वाली बाधा सरकार की अनुमति के कारण मौजूद है, तो संरक्षक सरकार से हटाने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा । इस दशा में अवरोध का स्वामी, समुचित सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, विहित किए जाने वाले कारको के कारण देय प्रतिकर प्राप्त करेगा ।

खंड 21—यह खंड सरकार को, अधिसूचना द्वारा, पतन सीमाओं के भीतर कतिपय कार्यकलापों पर, जो पतन में नौवहन पर कोई रुकावट कारित कर सकते हैं, निर्बंधन विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 22—यह खंड, जलयान के मास्टर को, आपात की दशा में के सिवाय, किसी पतन में, संरक्षक द्वारा डाले गए किन्हीं बोरों या मूरिंगों में से संरक्षक की सहायता के बिना उठाने से निर्बंधित करता है, जहां ऐसा जलयान बोरों या मूरिंगों में अटक जाता है या उनसे भिड़ जाता है । यह इसके अतिरिक्त उपबंध करता है कि संरक्षक, इस खंड के अधीन ऐसे किसी आपात की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही, ऐसे जलयान की निकासी में सहायता प्रदान करेगा और उसका अधीक्षण करेगा । यह खंड जलयान की निकासी में उपगत युक्तियुक्त व्ययों के संदाय का दायित्व जलयान के मास्टर पर डालता है ।

खंड 23—यह खंड संरक्षक को सशक्त करता है कि वह, या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के साथ, किसी पतन की सीमाओं के भीतर किसी जलयान पर चढ़ सकेगा, या किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जब इस विधेयक के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो । यह खंड किसी जलयान के मास्टर, या भवन या स्थान के कब्जाधारी या अधिभोगी को, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, ऐसे जलयान पर चढ़ने, या ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं देने से निवारित करता है ।

खंड 24—यह खंड, सरकार को किसी पतन पर पतन स्वास्थ्य अधिकारी के कृत्यों को करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में किसी पैनलबद्ध चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति के लिए सशक्त करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी जलयान के जल, स्वच्छता और आवास प्रसुविधाओं का निरीक्षण करने, किसी जलयान

पर चढ़ने और जलयान के फलक पर किसी व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा करने के साथ ही, जलयान पर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य और चिकित्सीय दशा की जांच करने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत कराने की शक्ति है। यह खंड सरकार को, जब किसी पतन या पतन के भाग में कोई संचारी या संक्रामक रोग फैल जाता है या फैलने की आशंका है, तो ऐसे भाग या उसके किसी भाग को संक्रमित क्षेत्र घोषित करने और किए जाने वाले उपाय विहित करने के लिए भी सशक्त करता है। यह खंड संरक्षक को, पतन पर आने वाले जलयान या पतन में के जलयान में संक्रामक रोग के निवारण या उसके फैलने की रोकथाम करने के लिए कार्रवाई करने और निदेश देने के लिए भी सशक्त करता है। मास्टर, ऐसे जलयान में ऐसे किसी रोग की विशिष्टियों की सरकार या संरक्षक को रिपोर्ट करेगा। यह, सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के साथ स्वास्थ्य अधिकारी को, या तो जलयान का और जलयान के फलक पर किसी व्यक्ति के चिकित्सीय निरीक्षण के लिए जलयान पर चढ़ने के लिए भी सशक्त करता है।

खंड 25—यह खंड, किसी संरक्षक, बंदरगाह मास्टर या किसी अन्य पतन अधिकारियों, उनके उप या किसी पतन में प्राधिकारियों के सहायकों या किसी प्राधिकारी या उनके सहायकों के नियन्त्रण या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या किसी विमान चालक के किसी कृत्य या व्यतिक्रम या किसी जलयान को मूरिंग, हाजरों या सरकार से संबंधित अन्य वस्तुओं में किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप हुए किसी नुकसान के लिए सरकार को सुरक्षा प्रदान करता है। यह खंड यह और उपबंध करता है कि सरकार की मंजूरी या आदेश के अधीन किए गए किसी कार्य के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी वाद पर उपबंध लागू नहीं होंगे।

खंड 26—यह खंड, किसी व्यक्ति को, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, किसी संपत्ति को, हटाने, नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने से निवारित करता है, जिसके अधीन कोई पोतघाट या जैटी है, जो, पतन से संबंधित या उसकी अभिरक्षा या कब्जे में है, या ऐसी किसी संपत्ति के प्रचालन को रोकती है या बाधा डालती है। खंड ऐसे व्यक्ति को, जो उपबंधों का उल्लंघन करता है, पतन को हुई किसी हानि, किसी ध्वंस या नुकसान के लिए ऐसे व्यक्तियों का, जिसमें विधेयक की दूसरी अनुसूची के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अन्य शास्त्र के अतिरिक्त, निरीक्षण या सर्वेक्षण का लागत भी सम्मिलित है, संदाय करने आबद्ध करता है।

खंड 27—यह खंड, किसी जलयान के मास्टर को, संरक्षक द्वारा जैसे और जब अपेक्षित हो, पतन में किसी अन्य जलयान को खींचने के लिए जलयान में गून या हाजर बांधने को आज्ञापक करता है तथा ऐसे गून या हाजर को तब तक नहीं जाने देगा, जब तक संरक्षक द्वारा ऐसा करने का निदेश न दिया जाए।

खंड 28—यह खंड, जलयान पर किसी अग्नि का शमन करने के लिए, संरक्षक या संरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से, सहयोग करने और उनसे आदेश प्राप्त करने के लिए, जलयान के मास्टर पर दायित्व अधिरोपित करने के लिए है।

खंड 29—यह खंड, जलयान पर किसी व्यक्ति को कतिपय कार्रवाइयों से निवारित करता है, जो जलयान की और उसके आसपास की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जानबूझकर किसी जलयान से मूरिंग को ढीला करने या हटाने के प्राधिकार के बिना ऐसा करना, किसी जलयान को उसकी मूरिंग, बोय, बिकन या समुद्र या चिह्न से उठाना, क्षति पहुंचाना, बांधना, ढीला करना या छोड़ना या पतन पर किसी अग्न्यायुध को चलाना या ऐसा कोई कृत्य करना या करने का लोप

करना, जिसे जलयान के फलक पर अग्नि कारित हो या कारित होने की संभावना हो या दोषपूर्ण अवस्था में किसी जलयान का उपयोग नहीं करना, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को या किसी अन्य जलयान की सुरक्षा को खतरे में डालना संभाव्य हो, सम्मिलित हैं। यह खंड यह और कथन करता है कि किसी जलयान का मास्टर उसके जलयान से संलग्न किसी गून या हाजर को, पतन पर नहीं छोड़ेगा, जिससे पतन में अन्य जलयान की सुरक्षा को खतरा कारित हो। यह किसी ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में ऐसे कृत्य को करने से भी प्रतिषिद्ध करता है, जो सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है या संरक्षक के आदेशों या निदेशों के प्रतिकूल है।

खंड 30—यह खंड, किसी व्यक्ति को, संरक्षक की अनुज्ञा के बिना किसी पतन में खोए हुए या खोए समझे गए लंगरों, केबलों या अन्य भंडारों की तलाश करने से प्रतिषिद्ध करता है।

खंड 31—यह खंड, संरक्षक की अनुज्ञा और ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण, जो संरक्षक द्वारा नियुक्त किया जाए, के अधीन के बिना, किसी व्यक्ति को, विद्यमान जलतल या भूगोलीय ढांचे या किसी प्रकार के कृत्रिम संरक्षण या पतन के तट को विक्षुब्ध करने से निवारित करता है। यह इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किसी मूरिंग पोस्ट, लंगर या किसी अन्य वस्तु को डूबाने या गाढ़ने से या कोई ऐसी बात करने से निवारित करता है, जो किनारे या तट के किसी भाग को क्षतिग्रस्त कर सके।

खंड 32—यह खंड यह अनिवार्य करता है कि कोई जलयान, किसी पायलट, बंदरगाह मास्टर या किसी पतन अधिकारी को फलक पर लिए बिना, किसी ऐसे पतन को नहीं छोड़ेगा या उसमें नहीं चलेगा, जब तक जलयान को संरक्षक का लिखित प्राधिकार न हो, जब तक मास्टर, समुचित अधिकारी को आवेदन करने पर, फलक पर किसी पायलट, बंदरगाह मास्टर या पतन अधिकारी को लाने में समर्थ नहीं हुआ था। खंड, सरकार को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है कि खंड के उपबंध, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी पतन में उतने से अनधिक परिमाण के चलत जलयानों को लागू नहीं होंगे। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि जलयान का स्वामी या मास्टर, जलयान द्वारा या जलयान नौवहन की किसी त्रुटि से कारित किसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

खंड 33—यह खंड किसी पतन के प्रत्येक पतन अधिकारी को, केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से, युद्धकाल में पतन की रक्षा से संबंधित चालें चलने में या उप-परंपरागत या गैर परंपरागत सकटों या प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध पतन की सुरक्षा के लिए, सहयोग करने के लिए निदेश देता है। यह खंड ऐसे जलयानों, जो युद्धकाल में उपयोग किए जाते हैं, के चालू व्ययों को वहन करने का दायित्व भी सरकार पर डालता है।

खंड 34—यह खंड, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय क्रियाकलापों का विनियमन प्राधिकरण और महानिदेशक द्वारा करने के लिए उपबंध करता है।

खंड 35—यह खंड, “गिट्टी जल प्रबंधन अभिसमय”, “मारपोल अभिसमय”, “प्राप्ति प्रसुविधा”, “जलयानों से अवशिष्ट”, “स्थोरा अवशेष” जैसे कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है, जो अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट हैं।

खंड 36—यह खंड, जलयानों को असम्यक् विलंब कारित किए बिना जलयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मारपोल अभिसमय और गिट्टी जल प्रबंधन अभिसमय के सुसंगत उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, प्राप्ति सुविधाओं का उपबंध करना प्रत्येक पतन के लिए अनिवार्य बनाता है। इसके

अतिरिक्त, खंड “पर्याप्त” पद को, पतन का उपयोग करने वालों की प्रचालन आवश्यकताओं, उसके आकार और भौगोलिक अवस्थिति तथा उस पतन में आने वाले जलयानों की किस्मों को गणना में लेते हुए, सामान्यतः उस पतन का उपयोग करने वाले जलयानों से अवशिष्ट की किस्म और मात्राओं को प्राप्त करने की सक्षमता के रूप में स्पष्ट करता है।

खंड 37—यह खंड, किसी ऐसे पतन के लिए, जिसमें कोई प्राप्ति प्रसुविधाएं नहीं हैं या जिसकी प्रसुविधाएं “पर्याप्त” नहीं हैं, किसी संचालित संपरीक्षा के आधार पर या अन्यथा, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट प्राप्ति प्रसुविधाओं का उपबंध करने या उनका इंतजाम करना अनिवार्य करने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

खंड 38—यह खंड, प्रत्येक पतन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए गए अनुसार, पतन अवशिष्ट प्राप्ति और हस्तालन योजना तैयार करना अपेक्षित करने के लिए है। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पतन अवशिष्ट प्राप्ति और हस्तालन योजना को पतन द्वारा कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। यह खंड, प्रत्येक पतन के लिए, योजना के बारे में जलयानों को नियमों में विहित रीति में संसूचित करना भी अनिवार्य करता है।

खंड 39—यह खंड, भारत में आने वाले जलयान के प्रचालक, अभिकर्ता या मास्टर के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए गए प्ररूप और रीति तथा समयावधि के भीतर, पड़ाव पतन को अग्रिम अवशिष्ट नोटिस प्रस्तुत करना बाध्यकर करता है।

खंड 40—यह खंड, किसी पतन पर पड़ाव डालने वाले जलयान के मास्टर को, नियमों द्वारा विहित शर्तों के अनुसार, जलयान सृजित संपूर्ण अवशिष्ट को किसी प्राप्ति प्रसुविधा में सुपुर्दगी करना बाध्यकर करता है। यह उस पतन के लिए, जहां अवशिष्ट को सुपुर्द किया गया था, जलयान के मास्टर को, नियमों द्वारा विहित प्ररूप और रीति में, अवशिष्ट सुपुर्दगी की रसीद जारी करना अपेक्षित करता है।

खंड 41—यह खंड, प्राप्ति प्रसुविधाओं प्रदान करने वाले किसी पतन या ऐसी प्रसुविधाओं प्रदान करने वाले व्यक्ति को, प्राप्ति प्रसुविधाओं का उपयोग करने के लिए समुचित प्रभार उद्ग्रहीत करना आज्ञापक करता है। सभी प्रभारों के संदाय पर और सभी अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, पतन में उपलब्ध कराई गई कोई प्राप्ति प्रसुविधा किसी जलयान द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

खंड 42—यह खंड, प्रत्येक पतन की, प्राप्ति प्रसुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्तता के लिए संपरीक्षा कराना तथा ऐसे प्रदूषण रोकथाम संयंत्र, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, की संपरीक्षा भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विहित, ऐसे अंतरालों पर, और रीति में, संपरीक्षा कराना केंद्रीय सरकार के लिए अपेक्षित करता है।

खंड 43—यह खंड केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जिसमें और ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने को सशक्त करने के लिए है। इसमें खंड 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अग्रिम अपशिष्ट नोटिस; खंड 40 के उपखंड (2) के अधीन अपशिष्ट सुपुर्दगी रसीदें; जलयान द्वारा प्राप्ति प्रसुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनुरोध और ऐसे अन्य विषय अन्तर्वलित हैं।

खंड 44—यह खंड प्रत्येक पतन को किसी ऐसी घटना की जिसमें तटीय जल के प्रदूषण की धमकी या धमकी देने की संभावना है, नियमों द्वारा विहित रीति में सरकार को रिपोर्ट करने को बाध्य करने के लिए है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार

को किसी पतन या राज्य सरकार या प्राधिकरण या संगठन को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि तटीय जल को प्रदूषित करने की धमकी देने वाली धमकी देने की संभावना वाली कोई घटना घटित हुई है या घटित होने की संभावना है, तो लागू विधि के अनुसार ऐसे प्रदूषण का निवारण या रोकथाम करने के लिए समुचित निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। यह इस खंड के प्रयोजनों के लिए तटीय जल के अर्थ भी स्पष्ट करता है।

खंड 45—यह खंड सरकार को अध्याय 8 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पतन या पतन अधिकारी को समुचित निदेश जारी करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

खंड 46—यह खंड फीस और अन्य प्रभार, जो पतन पर उद्ग्रहीत किए जाएं, को विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 47—यह खंड राज्य समुद्री बोर्ड या प्राधिकृत रियायती-ग्राही को मुख्य पतन से भिन्न प्रत्येक पतन के लिए पतन टैरिफ नियत करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, मुख्य पतन प्राधिकरण का बोर्ड या मुख्य पतन प्राधिकरण के बोर्ड या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जहां पतन कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, प्रत्येक मुख्य पतन के लिए पतन टैरिफ नियत करेगा। नियत किया गया पतन टैरिफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा और इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि अवसान के पश्चात प्रभावी होगा। यह खंड परिषद को पतन टैरिफ की पारदर्शिता से संबंधित किसी विषय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की भी अनुज्ञा देता है, जिसके अंतर्गत इसके घटक भी हैं। इसके अतिरिक्त यह विधेयक के अधीन संदेय सम्पूर्ण फीस या उसके किसी भाग को या अन्य प्रभारों को छूट प्रदान करने या परिहार करने के लिए सरकार की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण को सशक्त करता है।

खंड 48—यह खंड सरकार को अधिसूचना के माध्यम से पतन पर किसी अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय को विधेयक के अधीन संदेय फीस या अन्य प्रभार प्राप्त करने और प्राप्तियों को व्यय करने के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है। यह ऐसे अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय को ऐसे फीस या अन्य प्रभारों के बदले प्राप्तियां जारी करने की अपेक्षा करता है। इन प्राप्तियों में इस खंड के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

खंड 49—यह खंड प्रत्येक जलयान के स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर को, जिसे किसी फीस या अन्य प्रभार का संदाय करना अपेक्षित है, पतन की सीमा के भीतर जलयान के आगमन की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी अवधि के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, देने के लिए बाध्य करता है।

खंड 50—यह खंड यदि किसी जलयान का मास्टर मांग पर फीस या अन्य प्रभार का संदाय करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो खंड 48 के उपखंड (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्तियों का निकाय ऐसे जलयान या उसके किसी भाग को तब तक परिरुद्ध या गिरफ्तार कर सकेगा, जब तक शोध्य रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता है, सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त यह अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय को सशक्त करता है कि यदि फीस या अन्य प्रभार पंद्रह दिन तक संदत न किए जाएं, तो वे लागत वसूलने के लिए परिरुद्ध या गिरफ्तार किए गए जलयान का विक्रय कर सकेगा। ऐसे मामलों में, जहां जलयान को पहले से ही न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के आदेश के अधीन गिरफ्तार किया गया है, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विक्रय करने और

अतिशेष का संवितरण करने के लिए ऐसे न्यायालय या प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी। यह खंड उन स्थितियों को भी समाविष्ट करती है, जिसमें जलयान के विक्रय से आगम शोध्य फीस और प्रभारों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

खंड 51—यह खंड यह अधिदेश देता है कि किसी भी जलयान को तब तक पतन निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जब तक कि स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता या पतन उपयोक्ता द्वारा मंजूरी देने वाले अधिकारी के समाधान के लिए फीस या अन्य प्रभार और जुर्माना, शास्तियां और व्यय की रकम संदत नहीं की जाती है।

खंड 52—यह खंड यह अधिदेश देती है कि कोई जलयान मास्टर विधेयक के अधीन संदत की जाने वाली फीस या अन्य प्रभारों के संदाय का अपवंचन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त यह कथित करता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी कार्यवाही में कोई दस्तावेज, जो यह कथन करता हो कि मास्टर ने ऐसे संदायों का अपवंचन किया है, वह ऐसे अपवंचन का प्रथम दृष्टया सबूत होगा, जब तक कि मास्टर यह साबित न कर दे कि ऐसा प्रस्थान का कारण मौसम की खराबी था और ऐसे प्रस्थान के लिए कोई विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आधार था। इस विधेयक के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट को किसी जलयान में, जहां पोत है, इस खंड के अधीन किसी कार्यवाही में अधिकारिती होगी।

खंड 53—यह खंड यह कथन करता है कि कोई व्यक्ति, जो विधेयक के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह शास्ति का दायी होगा। पहली अनुसूची उन अपराधों से संबंधित है जिनके लिए जुर्माना या कारावास विनिर्दिष्ट किया गया है और दूसरी अनुसूची उन उल्लंघनों से संबंधित है जिनके लिए शास्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह खंड यह विनिर्दिष्ट करने के लिए है कि विधेयक के उपबंधों, विधेयक के अधीन नियमों या विनियमों का अनुपालन करने में कोई उल्लंघन या अफलता, जिसके लिए अलग से कोई शास्ति नहीं है, दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि भंग जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पहले दिन के पश्चात, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।

खंड 54—यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि दूसरी अनुसूची के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकारी संरक्षक होगा। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार को विधेयक के अधीन किसी भी उपबंध के पहले उल्लंघन को समन के लिए किसी अधिकारी को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 55—यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का कोई न्यायालय विधेयक के अधीन पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

खंड 56—यह खंड विवाद समाधान समिति के किसी आदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहने के लिए शास्ति को विनिर्दिष्ट करने के लिए है। जहां विवाद समाधान समिति के ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां एक लाख रुपये तक की शास्ति अधिरोपित की जाएगी और निरंतर व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक दिन एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

खंड 57—यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, कोई ऐसा कथन नहीं करेगा या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा जिसे व्यक्ति जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि विशेष सामग्री मिथ्या है या किसी तात्त्विक

तथ्य यह जानते हुए लोप करेगा कि यह तात्विक है या किसी दस्तावेज का, जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जानबूझकर उपांतरण करेगा, छिपाएगा या नष्ट करेगा।

खंड 58—यह खंड यह कथन करता कि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना या संरक्षक द्वारा अधिरोपित शास्ति, जलयान या जलयान के किसी भाग को, जो आवश्यक समझा जाए करस्थम और विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

खंड 59—यह खंड कथन करता है कि यदि इस विधेयक के अधीन व्यय या नुकसानियों के रूप में संदत की जाने वाली राशि के रूप में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे विवादकारी पक्षकारों में से किसी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए, मजिस्ट्रेट को किए गए आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विधेयक के अधीन व्ययों या नुकसानियों के रूप में बीस हजार रुपये से अनधिक संदेय किसी राशि को संरक्षक या मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो या यह कोई शास्ति या जुर्माना थी।

खंड 60—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि करस्थम या विक्रय के खर्च शास्ति, जुर्माना, व्ययों या नुकसानियों के अतिरिक्त उद्ग्रहीत किए जा सकेंगे।

खंड 61—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विधेयक के अधीन करस्थम करके या बंदी बनाकर उद्ग्रहणीय रकम और करस्थम के लिए संदेय खर्च की बाबत किसी विवाद की दशा में करस्थम करने वाला या बंदी बनाने वाला व्यक्ति, माल और विक्रय के आगमों को तब तक निरुद्ध कर सकेगा, जब तक कि उद्ग्रहीत की जाने वाली रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित नहीं कर दी जाए। ऐसी रकम मजिस्ट्रेट द्वारा उस संबंध में किए गए आवेदन के अनुसरण में अवधारित की जाएगी जिसे खर्च के रूप में संदत किया जाएगा, यदि मांग करने पर संदत नहीं किया जाता है तो वह उसी प्रकार प्रवर्तित किया जाएगा, जैसे जुर्माना।

खंड 62—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विधेयक या तत्स्थानी नियमों के अधीन कोई अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति पर उस स्थान पर, जहां वह पाया जाए या अधिकारिता रखने वाले किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसकी किसी जिले या ऐसे पतन के निकटस्थ स्थान पर जहां अपराध हुआ है, विचारण किया जा सकेगा या किसी ऐसे न्यायालय में, जहां उस व्यक्ति पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विचारण किया जा सकेगा। विधेयक के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, मानो वह अपराध उसकी अधिकारिता के भीतर किया गया हो, इस बात के होते हुए भी अपराध उसकी अधिकारिता की सीमाओं में स्थानीय तौर पर नहीं किया गया है।

खंड 63—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि विधेयक के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और उसके कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध की दोषी समझे जाएंगे और उसके तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होगी। यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी, तो ऐसे व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनाएगी। तथापि, यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया था या किसी उपेक्षा के कारण हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति को तदनुसार दंडित किया जाएगा। यह खंड इस खंड के लिए “कंपनी” और “निदेशक” का अर्थ भी स्पष्ट करता है।

खंड 64—यह खंड किसी व्यक्ति पर दस्तावेजों की तामील की रीति का उपबंध करने के लिए है, जैसे, व्यक्तिगत परिदान, उसे उसके अंतिम निवास के पते पर छोड़कर या डाक द्वारा। यदि ऐसा परिदान किसी पत्तन के बंदरगाह मास्टर पर किया जाना है, तो इसे पत्तन पर या पत्तन पर प्रभार में किसी व्यक्ति के पास छोड़ा जा सकेगा, जलयान के मास्टर की दशा में, ऐसा दस्तावेज जलयान के फलक पर ऐसे व्यक्ति के पास जलयान पर छोड़ा जा सकेगा और यदि कोई मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता नहीं है, तो इसे जलयान पर या पुल पर किसी उपयुक्त स्थान पर चस्पा किया जा सकेगा।

खंड 65—यह खंड जलयानों को किसी पत्तन पर कोई ध्वज, झंडा, पताका या ध्वजा फहराने से या ग्रहण करने से या लगाने से प्रतिषिद्ध करती है जिसका प्रयोग अविधिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी जलयानों पर भारत के पत्तन पर आने पर भारत गणराज्य का ध्वज और जलयान के देश का ध्वज फहराने की बाध्यता अधिरोपित करती है।

खंड 66—यह खंड प्रत्येक पत्तन को आपात तैयारी और प्रत्युत्तर योजना तैयार करने के लिए अधिदेश देती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को ऐसी योजना के अनुमोदन के साथ-साथ इस खंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पत्तन की संपरीक्षा करने के लिए सशक्त करती है। यह खंड संरक्षक को अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी करने के लिए भी सशक्त करती है। यह केंद्रीय सरकार को इस खंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय आपात प्रत्युत्तर प्रणाली स्थापित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निदेश जारी करने के लिए भी सशक्त करती है।

खंड 67—यह खंड प्रत्येक पत्तन पर संपत्ति नुकसान, जलयानों का डूबना, जलयानों का टकराना, आग लगना जैसी किसी भी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करने के लिए ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा विहित की जाए बाध्यता अधिरोपित करती है।

खंड 68—यह खंड प्रत्येक पत्तन को पत्तन पर आने वाले जलयानों के नाविकों के लिए तट-आधारित कल्याणकारी सेवाएं जो नियमों द्वारा विहित की जाए उपलब्ध करने के लिए बाध्य करता है।

खंड 69—यह खंड केंद्रीय सरकार को पत्तन से संबंधित डाटा को पत्तन समुदाय प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत करने के लिए एक तंत्र अपनाने के लिए पत्तन को निदेश देने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पत्तन को लागू विधि के अनुसार पत्तन की सीमाओं के भीतर प्रभावी जलयान सेवा बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। यह खंड पत्तन समुदाय प्रणाली और जलयान यातायात प्रणाली का अर्थ भी स्पष्ट करता है।

खंड 70—यह खंड केंद्रीय सरकार को पत्तन, पत्तन सुविधाओं, पत्तन अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 71—यह खंड किसी पत्तन को, जिसमें तात्विक स्वामित्व परिवर्तन या प्रभावी नियंत्रण परिवर्तन हो रहा है, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो अधिसूचित किया जाए पूर्व निकासी अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने के लिए है।

खंड 72—यह खंड यह अधिदेश देती है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन जिसका भारत पक्षकार है ऐसे अभिसमयों के अनुसार बाध्यताओं का निर्वहन करता है

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

खंड 73—यह खंड केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक पतनों को बड़े पतनों के रूप में वर्गीकरण करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त करने के लिए है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को किसी महापत्तन की दशा में और महापत्तन से भिन्न पत्तन की दशा में राज्य सरकार के परामर्श से, पत्तन को बड़े पत्तन के रूप में अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है । बड़े पत्तन के रूप में ऐसी वर्गीकरण के होते हुए भी ऐसे महापत्तन या महा पत्तन से भिन्न किसी पत्तन के रूप में अपनी प्रास्थिति को बनाए रखेंगे और उन पर लागू संबद्ध विधियों से शासित होना जारी रखेंगे ।

खंड 74—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि समुद्री राज्य विकास परिषद के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा ।

खंड 75—यह खंड अधिदेश देता है कि इस विधेयक के उपबंध महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 जहां तक उनका संबंध पत्तनों से है के अतिरिक्त होंगे, न कि इनके अल्पीकरण में ।

खंड 76—यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

खंड 77—यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में राज्य सरकार विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

खंड 78—यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

खंड 79—यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में परिषद पत्तनों के अपने प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले विनियम बना सकेगी ।

खंड 80—यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है जिनके संबंध में परिषद इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक और तद्दधीन बनाए गए नियमों से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी ।

खंड 81—यह खंड अधिदेश देता है कि विधेयक के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 82—यह खंड सरकार, परिषद, प्राधिकरण या परिषद या प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी कर्मचारी को विधेयक के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई या विधेयक के अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी विनियम के लिए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षण के लिए है ।

खंड 83—यह खंड केंद्रीय सरकार को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शास्ति की रकम को अधिसूचित करने और बढ़ाने जो विनिर्दिष्ट रकम से दोगुनी से अधिक नहीं होगी को सशक्त करने के लिए है, इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि प्रत्येक

अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

खंड 84—यह खंड केंद्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है और विधेयक के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा आदेश करने की शक्ति को निर्बंधित करता है और प्रत्येक ऐसे आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का अधिदेश देता है।

खंड 85—यह खंड भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का निरसन करने और उक्त अधिनियम के अधीन किए गए विभिन्न कार्यों की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है। इसके अतिरिक्त यह कथित करता है कि साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 की उपबंध निरसित अधिनियमन पर लागू होंगे।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का उद्देश्य भारतीय पतन अधिनियम, 1908 को निरस्त करना तथा भारतीय पतन विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करना है ।

2. विधेयक का खंड 3 इस विधेयक के उद्देश्यों के लिए एक परिषद की स्थापना का उपबंध करता है जिसे समुद्री राज्य विकास परिषद कहा जाएगा। विधेयक का खंड 8 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा किए गए सम्यक लेखानुदान के पश्चात इस विधेयक के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद द्वारा यथा अपेक्षित अनुदान दे सकेगी ।

3. जैसे ही और जब निकाय का गठन किया जाएगा, उक्त निकाय के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय को व्यय विभाग द्वारा आबंटन के पश्चात बजटीय आबंटन से पूरा किया जाएगा । इस स्तर पर यह व्यय मात्रात्मक नहीं है क्योंकि संरचना, पद, अधिकारियों की संख्या और अन्य पहलू अंतिम नहीं हैं ।

4. यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से कोई अन्य व्यय, चाहे वह आवर्ती हो या गैर-आवर्ती, सम्मिलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में जापन

भारतीय पतन विधेयक, 2025 का खंड 76 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उक्त खंड का उपबंध (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे। इन विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, (i) खंड 7 के उपखंड (2) के अधीन परिषद् के कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ii) खंड 18 के उपखंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले पतन के अन्य अधिकारी ; (iii) खंड 18 के उपखंड (3) के अधीन अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ; (iv) खंड 18 के उपखंड (6) के अधीन ऐसी शक्तियां, जिनका पतन अधिकारी और ऐसे व्यक्तियों, जिनको ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकेंगी, का प्रत्यायोजन ; (v) खंड 20 के उपखंड (5) के अधीन प्रतिकर उपधारित करने के लिए बाधा हटाने या उपांतरित करने की रीति और घटक ; (vi) खंड 24 के उपखंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले स्वास्थ्य अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ; (vii) खंड 24 के उपखंड (4)(ख) के अधीन संक्रमित जाने में किए जाने वाले उपाय ; (viii) खंड 26 के उपखंड (2) के अधीन संदत्त किए जाने वाले व्यय का अवधारण करने के लिए ; (ix) खंड 48 के उपखंड (2) के अधीन शुल्कों और अन्य प्रभारों की प्राप्ति का प्ररूप और रीति ; (x) खंड 54 के उपखंड (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी निकाय से पतन अधिकारी की नियुक्ति की रीति ; और (ट) खंड 72 के उपखंड (2) के अधीन पतनों द्वारा निर्वहन की जाने वाली बाध्यताएं।

2. विधेयक का खंड 77 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उक्त खंड का उपबंध (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे। इन विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, (i) खंड 16 के उपखंड (2) के अधीन राज्य समुद्रीय बोर्ड को निर्दिष्ट विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन करने का प्ररूप और रीति ; (ii) अन्य मामले, जिनके संबंध में राज्य समुद्रीय बोर्ड खंड 16 के उपखंड (4) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा ; (iii) खंड 18 के उपखंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले पतन के अन्य अधिकारी ; (iv) खंड 18 के उपखंड (3) के अधीन अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ; (v) खंड 18 के उपखंड (6) के अधीन ऐसी शक्तियां, जिनका पतन अधिकारी और ऐसे व्यक्तियों, जिनको ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकेंगी, का प्रत्यायोजन ; (vi) खंड 20 के उपखंड (5) के अधीन प्रतिकर उपधारित करने के लिए बाधा हटाने या उपांतरित करने की रीति और घटक ; (vii) खंड 24 के उपखंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले स्वास्थ्य अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ; (viii) खंड 24 के उपखंड (4)(ख) के अधीन संक्रमित हो जाने में किए जाने वाले उपाय ; (ix) खंड 26 के उपखंड (2) के अधीन संदत्त किए जाने वाले व्ययों का अवधारण करने के लिए संरक्षक द्वारा विचार में लिए जाने वाले घटक ; (x) खंड 48 के उपखंड (2) के अधीन फीसों और अन्य प्रभारों की प्राप्ति का प्ररूप और रीति ; और (xi) खंड 54 के उपखंड (2) के अधीन व्यक्तियों के किसी निकाय से संरक्षक की नियुक्ति की रीति।

3. विधेयक का खंड 78 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उक्त खंड का उपबंध (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे। इन विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, (i) खंड 1 के उपखंड (3)(क)(iii) के अधीन पतनों की ओर जाने वाली नौपरिवहन नदियों और जलसरणियों के किसी भाग की अधिसूचना का प्ररूप और रीति ; (ii) खंड 11 के उपखंड (2) के अधीन किसी नए पतन को और पतन की सीमाओं में परिवर्तन को अधिसूचित करने का प्ररूप और रीति ; (iii) खंड 24 के उपखंड (5)(क) के अधीन पतन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई और व्यक्तियों को दिए गए निदेश ; (iv) खंड 24 के उपखंड (5)(ख) के अधीन मास्टर द्वारा रोग की रिपोर्टिंग की रीति ; (v) खंड 36 के अधीन पतन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली प्राप्ति प्रसुविधाओं की शर्तें ; (vi) खंड 38 के उपखंड (1) के अधीन पतन अपशिष्ट प्राप्ति तैयार करने और हथालन योजना का प्ररूप और रीति ; (vii) खंड 38 के उपखंड (3) के अधीन पतन अपशिष्ट प्राप्ति और हथालन योजना के विषय में ऐसी सूचना की रीति ; (viii) खंड 39 के अधीन अग्रिम अपशिष्ट नोटिस प्रस्तुत करने का प्ररूप, रीति और समय ; (ix) खंड 40 के उपखंड (1) के अधीन जलयान सृजित अपशिष्ट सुपुर्दगी रसीद जारी करने का प्ररूप और रीति ; (x) खंड 40 के उपखंड (2) के अधीन अपशिष्ट सुपुर्दगी की शर्तें ; (xi) खंड 42 के उपखंड (1) के अधीन पतनों की संपरीक्षा करने के अंतराल और रीति ; (xii) खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन घटना की रिपोर्ट करने की रीति ; (xiii) खंड 49 के अधीन पतन पर जलयान के पहुंच का प्ररूप, रीति और रिपोर्ट करने का समय ; (xiv) खंड 67 के अधीन घटना के रिपोर्ट करने की रीति ; और (xv) खंड 68 के अधीन समुद्र तट आधारित कल्याणकारी सेवाओं हेतु उपबंध।

4. विधेयक का खंड 79 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उक्त खंड का उपबंध (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे। इन विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, (i) खंड 3 के उपखंड (3) के अधीन परिषद् की बैठक में अध्यक्ष द्वारा व्यक्तियों को आमंत्रित करने की रीति और शर्तें ; (ii) खंड 3 के उपखंड (4) के अधीन परिषद् की बैठक में कारबार के संव्यवहार की रीति ; (iii) ऐसे अन्य मामले, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या किए जा सकें।

5. वे विषय, जिनके संबंध में उपरोक्त उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।